हज कमेटी ऑफ इन्डिया

(हज कमेटी एक्ट, 2002 के नंबर 35 के तहत संघटित वैधानिक संस्था)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिन

ट्रेनर्स के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका

बराए

हज 1441 (हि.) 2020 (सी.ई.)

बैतुल हुज्जाज (हज हाउस)
7.ए, एम.आर.ए. मार्ग (पलटन रोड), मुम्बई-400 001.

हज कमेटी ऑफ इन्डिया

(हज कमेटी एक्ट, 2002 के नंबर 35 के तहत संघटित वैधानिक संस्था)

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन)

ट्रेनर्स के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका

फेहरिस्त

नम्बर शुमार	उनवानात्	सफहा नम्बर कहाँ से कहाँ तक	
1	तआरुफ	2	3
2	आज़मीने हज के इन्तेख़ाब के लिए इक़दार	4	7
3	मालूमात/जानकारी	8	11
4	हज के मज़हबी पहलू	12	14
5	जब आप सऊदी अरब में हों	15	23
6	तिब्बी/हंगामी एक़दामात	24	27
	ANNEXURE		
I	इमदादी एजेन्सियाँ	28	29
II	अहम टेलीफोन नम्बर	30	31
III	जमरात की रमी में सहूलयात के ताल्लुक से साउथ एशियन मोससा सऊदी अरबिया की जारी करदा हिदायात।	32	33
IV	लुग़त	34	38
V	अरकाने हज एक नजर में	39	
VI	कार्यकारी अधिकारी/स्टेट हज कमिटियों की लिस्ट	40	41
VII	ट्रेनिंग सर्कुलर नम्बर 07 बतारीख 20.01.2020	42	45
VIII	ट्रेनिंग सर्कुलर नम्बर 09 बतारीख 29.01.2020	46	47

पहला बाब : तआरूफ

1.1) हज कमेटी ऑफ इन्डिया और रियासती/यूनियन टेरीट्रीज हज कमेटियों का कयाम हज कमेटी एक्ट 2002, के तहत अमल में आया। हज कमेटी ऑफ इन्डिया, रियासती हज कमेटी के तआउन से हिन्दुस्तानी आजमीने हज के लिए तमाम इन्तेज़ामात करती है। जिस में तालीम ओ तरबियत भी शामिल है।जिस तरह हज का इन्एक़ाद मुन्तज़ेमीन के लिए एक पेचीदा इन्तेज़ामी अम्र है,उसी तरह हुज्जाजे कराम के लिए भी एक चैलेन्ज है अगरचे बुनियादी हज सिर्फ़ 6 रोजा मजहबी इज्तेमा है लेकिन यह हुज्जाजे केराम के इल्म, सब्र और फुर्ती का इम्तेहान लेता है लेहाज़ा इस सिलसिले में हुज्जाजे कराम की मजहबी तरबियत के साथ–साथ इन्तेज़ामी ऊमूर का ध्यान रखना बहुत अहम हैं चुंकि ज़्यादातर हुज्जाजे करामपहली बार हज पर जारहे होते हैं और उनमें से बहुत से पहली मरतबा अपने आबाई वतन से बाहर का सफर करते हैं। सऊदी हुक्काम भी इस बात पर काफी जोर देते हैं कि हाजियों को मुनासिब तरीके से पहले से ही तरबियतयाफ्ता होना चाहिए।

1.2 हुज्जाजे कराम की तरबियत दो मराहिल में की जाती है। पहले मरहले में ट्रेनरों की तरबियत मुम्बई में हज कमेटी ऑफ इन्डिया की तरफ से की जाती है। इसके बाद ट्रेनर आज़मीने हज को अपने–अपने अज़ला में रियासती/यूनियन टेरीट्रीज हज कमेटी की निगरानी में तरबियत देते हैं। हर हाजी को तीन ट्रेनिंग सेशन में शिरकत करनी होती है। रियासती हज कमेटी के जरिये 250 हाजी पर एक ट्रेनर का इन्तेख़ाब किया जाता है। (जिसकी तफ़सीलात सर्कुलर नंबर 7 बतारीख़ 20.01.2020 में मौजूद हैं)

1.3 ट्रेनिंग में रियासती हज कमेटी का किरदार

- ट्रेनर की तरफ से तमाम हाजियों की मुनासिब और जामे तरबियत को यकीनी बनाने के लिये हर हाजी को कम अज़ कम 3 ट्रेनिंग सेशन में शिरकत करना चाहिए।
- हर ट्रेनर के दायरा इख्तेयार, ज़िम्मेदारी और तफ्वीज़करदा हुज्जाजे किराम की वज़ाहत करना।
- तरबियती कैलेन्डर के अमल को यक़ीनी बनाना।
- ट्रेनिंग सेशन की तारीख, वक्त, मुकाम और ट्रेनर की तफसीलात की तशहीर करना।
- तरबियती कैम्पों को मुनज्जम करने में ट्रेनर की मदद।
- रियासती हज कमेटी के एक्जीक्यूटिव ऑफीसर तरबियती कैम्पों की जाँच, निगरानी करेंगे और उनकी अफादियत का जायजा लेंगे वह इस सिलसिले में ट्रेनिंग कैम्पों का दौरा भी कर सकते हैं और हुज्जाजे कराम से फीडबैक (Feedback) भी ले सकते हैं।

1.4 ट्रेनर्स के फरायज

- तमाम हाजियों को हिदायात/मालूमात की फराहमी के लिये रियासती हज कमेटी/हज कमेटी ऑफ इन्डिया के राब्ते के तौर पर काम करना।
- रियासती हज कमेटी की तरफ से हुज्जाजे कराम की लिस्ट हासिल करना।

- रियासती हज कमेटी की हिदायात के मुताबिक रियासती दारुलख्लाफों / इज़लाअ/ताल्लुकों में मुनक्किद तरबियत कैम्पों में तरबियत का इन्काद करना।
- वेटिंग लिस्ट और हुकूमती कोटों से मुंतख़िब आजमीन हज को इम्बार्केशन प्वाइन्ट/ हज कैम्पों में तरबियत फराहम करना है।
- रियासती हज कमेटी के एक्जीक्यूटिव ऑफीसर की हिदायात पर अमल करना।

1.5 हुज्जाजे कराम की मोअस्सिर तरीके से रहनुमाई के लिए ट्रेनर को मुसलसल ताजा तरीन हिदायात, मेयार और हज से मुताल्लिक सरगर्मियों के बारे में अपने इल्म को अपडेट करना चाहिए और मन्दर्जाजेल वसाइल से रुजू करना चाहिए।

- ट्रेनर के लिए दस्ती किताबचा।
- तरबियती सी.डी. जिसमें हज फिल्म और मुताअल्लका मवाद मौजूद है।
- हज गाइड, हज 2020 के लिए हिदायात
- हज कमेटी ऑफ इन्डिया के तमाम सर्कुलर
- हज कमेटी ऑफ इन्डिया की वेबसाइट **hajcommittee.gov.in**
- कोन्सल जनरल ऑफ इन्डिया, जिद्दा की वेबसाइट **cgijeddah.com**
- हज के मजहबी पहलुओं पर कोई आसान किताब।

दूसरा बाब : आज़मीने हज के इन्तेखाब के लिए इक़्दार

2.1 मुअस्सिर और फाएदेमंद तरबियत देने के लिए तरबियत कार को उसे सौंपे गए हुज्जाज कराम के बारे में जान्कारी रखना ज़रुरी है। तरबियत कार के ज़रिये हुज्जाज कराम के इंतेख़ाब के उसूल पर मबनी उन की तरबियत का ख़ाका तैयार किया जा सकता है। तफसीलात की आगाही दरख़्वास्त दहिंदगान को अगले हज के लिए तैयार करने में भी मुआविन साबित होगी। हज 2020 के लिए हिदायात का ख़ुलासा मंदर्जा ज़ेल है :–

2.2 हज के लिए अहेलियत

- भारत का कोई भी मुसलमान शहरी
- ऐसी महिलाएं जिनके साथ शरई महरम हों या चार महिलाओं का ग्रूप जिन की उम्र 45 साल से ज़्यादा हो। मगर कोई मर्द शरई महरम के तौर पर इन के पास मौजूद ना हो और उनका मसलक बगैर महरम उन्हें हज पर जाने की इजाज़त देता हो। उन्हें चार महिलाओं के ग्रूप में हज दरख़्वास्त फार्म भरने की इजाज़त होगी। वाज़ेह हो कि सफरे हज के हर मरहले में चारों महिलाएं ग्रुप की शक्ल में साथ रहें।
- मशीन से पढ़े जाने लायक मुस्तनद हिन्दुस्तानी बैनुलअक्वामी पासपोर्ट 23.12.2019 या इस से क़ब्ल जारी किया गया हो और इस की मीयाद 20.01.2021 तक हो।
- जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमन्द अफराद।

2.3 रिपीटर पर पाबन्दी

- हज कमेटी ऑफ इन्डिया के जरिये जिन्दगी में सिर्फ एक बार हज।
- मुसतशनियात
  - एक खातून मुसाफिर के मेहरम के तौर पर
  - 70+साल वालों के लिए साथी के तौर पर
- रिपीटर की रकम जब्त हो सकती है।

2.4) दरख्वास्त और इन्तेखाब

- हज के दरख्वास्त फार्म हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर ऑनलाइन या गुगल प्ले स्टोर पर मौजूद हज कमेटी ऑफ इंडिया की एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के जरिए जमा (Submit) किये जा सकते हैं। हज फार्म पुर करने के बाद इस की कॉपी डाउनलोड कर के दीगर दस्तावीज़ात के साथ मुतआलिक़ा रियासती हज कमेटी/युनियन टैरीटरि हज कमेटी के दफतर में जमा कराएं।
- मोसूल फार्म की डेटा इन्ट्री IHPMS पर रियासती हज कमेटी/युनियन टैरीटरि हज कमेटी के जरिये।
- दो कैटेगरी
  - महफूज जुमरा 70+साथी के साथ दरख्वास्त देहन्देगान
  - जनरल कैटेगरी(बशमूल ऐसी महिलाएं जिनके साथ शरई महरम हों या 45 साल से ज़्यादा हो, जो हज पर जाना चाहते हों मगर कोई मर्द शरई महरम के तौर पर इन के पास मौजूद ना हो और उनका मसलक बगैर महरम उन्हें चार के ग्रूप में हज पर जाने की इजाज़त देता हो।
- कुर्रा का अमल अगर दरख्वास्तें कोटा की हद से तजाउज हो तो
- तरजीहात
  - महफूज जुमरा
  - जनरल कैटेगरी
- मन्सूख होने वाली सीटों पर इन्तखाब के लिए वेटिंग लिस्ट

2.5 अदायगी रक़ूम :

- दरख़्वास्त फीस रुपये. 300/– (नाकाबिले वापसी) SBI/UBI ऑनलाइन अदा की जा सकती है।
- कुल रकम तीन किस्तों में जमा की जायेगी।
- इन्तखाब के बाद रुपये 81,000/– की रकम एडवान्स में जमा करनी होगी।
- बक़िया हज की रक़म (कुल रक़म में से पेशगी हज की रक़म निकाल कर) की अदाएगी दो किस्तों में जमा करनी होगी। 1,20,000 रूपये की पहली किस्त मार्च, 2020 के आखिर तक वसूल की जाएगी और बकिया रकम बैंक और सऊदी रियाल के फाइनल होने के बाद हिन्दुस्तानी करेन्सी के मुताबिक अदा करने होंगे। तारीख का ऐलान बाद में किया जायेगा। मुतय्यना तारीख तक रकम अदा न करने पर सीट रद्द कर दी जायेगी। हज 2020 में वसूल की गई रकम की तफसील हज गाइड लाइन के पेज नम्बर 4 और 5 पर दी गई है।
- हाजी से जमा कुर्दा हज की कुल रक़म = ख़र्चे(सऊदी अरबिया में रिहाईश के मुआवज़े, मोअल्लिम फीस,सऊदी अरबिया में ट्रांस्पोटेशन और दीगर मुआवज़े)सऊदी रियाल में + वीज़ा फीस सऊदी रियाल 300 + हवाई जहाज का असल किराया + एयर पोर्ट और सर्विस टैक्स + सऊदी हुकूमत के ज़रिये घोषित ख़र्चे(अगर हों तो) + 1000 दीगर ख़र्चे जिस की जानकारी हज गाइड लाइन 2020 में दी गई है।
- एक्सचेंज रेट के कम या ज़्यादा होने पर ख़र्च की रक़म ज़्यादा होगी तो ज़्यादा रक़म हर आज़िमे हज से या तो रवानगी के वक़्त सऊदी रियाल 2100/. में से ले ली जाएगी या इस बारे में हज कमेटी ऑफ इंडिया अलाहिदा ऐलान करेगी जिस के तहत आज़मीने कराम को ज़्यादा रक़म अदा करनी होगी।
- हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीने केराम के पूरे सफरे हज को मरकज़े रवानगी पर बुकिंग के साथ कंप्युटराईज़्ड किया है। हर आज़िमे हज की जानिब से अदा की गई रक़म की तफसील इस सिस्टम पर वाज़ेह की जाती है। किसी भी आज़िमे हज की सीट हवाई जहाज़ में उस वक़्त तक कन्फर्म नही होगी जब तक कि उस आज़िम की जानिब से रक़म की अदाएगी तारीख़ तक ना की गई हो और सिस्टम पर नज़र ना आ रही हो।
- **रक़म की मुकम्मल अदाएगी सीट के कन्फर्म होने की ज़मानत नहीं है** : दरख़्वास्त देने वाले इस बात का यक़ीन कर लें कि हज दरख़्वास्त फार्म की तफ्सीलात/दस्तावेज़ात को हिदायात बराए हज के मुताबिक़ सही और सच्ची मालूमात फराहम करते हुए मुकम्मल तौर पर भरा गया है। अगर कोई दरख़्वास्त गुज़ार अपने दरख़्वास्त फार्म में ग़लत बयानी/ना.मुकम्मल मालूमात/झूठी और ग़लत या ना.मुकम्मल दस्तावेज़ात की बिना पर आरज़ी चुनाव/कन्फर्मेशन की हैसियत हासिल कर लेता है और पेशगी/बक़ीया हज रक़म भी जमा करा देता है तो पता लगने पर उसका सफरे हज किसी भी स्टेज पर रद्द किया जा सकता है। यहां तक कि मरकज़े रवानगी पर भी, इस लिए मुकम्मल रक़म की अदाएगी हज पर जाने की ज़मानत नहीं है।
- **वीज़ा फीस** : सऊदी हुक्काम बराए हज तमाम दरख़्वास्त गुज़ारों से हज वीज़ा के लिए वीज़ा फीस के तौर पर 300 सऊदी रियाल की रकम वसूल करते हैं भले ही दरख़्वास्त गुज़ार पहले हज के लिए गया हो या नही।

- रक़ूम स्टेट बैंक और यूनियन बैंक में मौजूद हज कमेटी के खाते में जमा की जा सकती है।
- हुकूमत से हज कमेटी ऑफ इन्डिया को कोई सबसिडी/ग्रान्ट नहीं।

2.6 रिहाइश के लिए क़ुर्रा :

एक जुमरे में दस्तयाब युनिट्स की तादाद माँग से कम होने की सूरत में एलाटमेन्ट क़ुर्रा के जरिये की जायेगी। बाकी हुज्जाजे कराम को अगले जुमरे में ऐडजस्ट किया जायेगा। चार्ज एलाटमेन्ट जुमरे के मुताबिक होंगे।

2.7 मन्सूख़ी :

- अगर मुन्तख़ब दरख़्वास्त गुज़ार किसी भी बुनियाद पर अपने सफर को मन्सूख करना चाहते हों तो वह अपनी मुतालका रियासती हज कमेटी को मशरुअ फार्मेट में दरख्वास्त पेश करेंगे।
- रियासती हज कमेटी की तरफ से मन्सूखी की इत्तेला मिलते ही हज कमेटी ऑफ इन्डिया IHPMS में मन्सूखी का निशान लगा देगी।
- एक मरतबा मन्सूख शुदा दरख्वास्त किसी भी सूरत में वापस नहीं ली जायेगी।
- अगर कोई दरख्वास्त गुजार किसी वजह से दी गई तारीखों के अन्दर अपना पासपोर्ट या रकम की अदायगी या दोनों पेश करने में नाकाम रहा तो उसकी दरख्वास्त रद्द कर दी जायेगी।
- दरख़्वास्त की मनसूख़ी की सूरत में रक़म की वापसी हिदायात हज गाइड लाइन 2020 के पैराग्राफ 26 के तहत की जाएगी।

2.8 रक़ूम की वापसी :

हज दरख्वास्त मंसूख़ कराने पर उस दिन से दो महीने के अन्दर जमा शुदा रक़म की वापसी की जाएगी। दरख्वास्तें दिये गए खाके में मौसूल होनी चाहिए। ताहम दीगर इख़राजात के तौर पर ली गई 1000 रूपये की रक़म किसी भी मरहले में वापस नही की जाएगी इसके इलावा हज सीट की मन्सूख़ी पर आज़मीने हज की वापसी की रक़म में से दिये गए खाके के हिसाब से रक़म की कटौती होगी।

नंबर क़	तफसीलात	कटौती एक आज़िमे हज
1	31 मार्च 2020 तक	1,000 रुपये
2	1 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2020 तक	5,000 रुपये
3	1 मई 2020 से मुकर्ररा फ्लाइट की तारीख तक	10,000 रुपये
4	गैर हाज़िर (Non - Reporter)/नो शो (No-Show)हवाई जहाज़ में सीट कन्फर्म करने के बाद गुमशुदा/सफर के कागज़ात हासिल करने के बाद एक तरफ का हवाई जहाज़ का किराया 25000 रूपया जो भी ज़्यादा हो	25,000रुपये

(i) इन जवाबित का इत्लाक ऐसे आज़िम पर नहीं होगा जिनके सफर की मन्सूख़ी इंतेक़ाल या ऐसी तशवीसनाक बीमारी/एक्सीडेंट/ख़ातून के हामला होने की वजह से हो जिस से आज़िमे हज सफर के नाक़ाबिल करार पाए। ऐसी सूरते हाल में सिर्फ 1,000/- रुपये फी हाजी काट लिए जाएंगे।

(ii) इन ज़वाबित का इत्लाक ऐसे आज़िम के साथ हमसफर पारिवारिक सदस्यों पर भी नहीं होगा जिन के सफरे हज की मन्सूख़ी ऊपर दी गई दफा (i) में दर्ज हालात की बिना पर हो। याद रहे कि पारिवारिक सदस्यों में सिर्फ मां, बाप, शौहर, बीवी, बेटा, बेटी और भाई, बहन ही शामिल हैं। पस उनसे भी 1,000/- रुपये फी हाजी काट लिए जाएंगे।

(iii) चुंकि चार्टर फ्लाईट की टिकटें न क़ाबिले मुन्तक़िल होती हैं इसलिए वापसी सफर के टिकट को किसी भी वजूहात की बिना पर इस्तेमाल में ना लाने की सूरत में वापसी के सफर का किराया आज़िमे हज को लौटाया नहीं जा सकता। ब-जूज़ आज़िमे हज के सऊदी अरबिया में इंतेक़ाल की सूरत में, जबकि नाम-ज़द (Nominee) को मरहूम हाजी के सफर का एक तरफा हवाई जहाज़ का किराया मिलेगा।

(iv) गैर हाज़िर(Non-Reporter) वह आज़मीन हज है जिसे फ्लाईट की तारीख़ दी गई हो मगर उसने मुतल्लिक़ा रवानगी के मरकज़ पर रिपोर्ट न किया हो। मुतय्यना फ्लाईट के चले जाने के बाद किसी आज़िमे हज की जानिब से सफर को रद्द करने की दरख़्वास्त मिलने पर भी आज़िमे हज गैर हाज़िर (Non-Reporter) माना जाएगा।

(v) सफरे हज की मन्सूख़ी के साथ जमा की गई रक़म की पे-इन-स्लिप, मेडिकल/मौत की सनद की कॉपीयां मुन्सलिक करें।

(vi) अगर रकम आनलाइन जमा कराई गई हो तो वापसी भी उसी तरह होगी।

तीसरा बाब : मालूमात/जानकारी

3.1 इम्बार्केशन प्वाइन्ट पर रवानगी :

हुज्जाजे कराम को आगाह किया जाये कि अपना पासपोर्ट(ई वीज़ा के सफहे के साथ), ज़रे मोबादला सऊदी रियाल 2,100/– (जो हर हाजी को दिए जाते हैं) और ज़रुरी दवाऐं (अगर हों तो) नुसख़े के साथ कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिये दिये गए हैंड बैग में महफूज़ तरीके सेरखें। हर आज़िमीन हज को चाहिये के वह अपने हैंड बैग पर जली हुरुफ में अपना नाम और कवर नंबर लिखें ताकि आसानी से शनाख़्त हो सके। सऊदी करेंसी हासिल करते वक्त हुज्जाज कराम वहीं पर गिनलें और एहतियात के साथ ले जाऐं।

3.2 स्टैन्डर्ड बैग :

मुन्दर्जाज़ेल वजन हजम के दो सूटकेस और एक हैन्डबैग से ज्यादा नहीं ले जा सकते है। यही बैग खारजी और दाखिली सफर के लिए इस्तेमाल होंगे।

तफसीलात	तादाद	वज़न	साइज
चेक–इन बैग्स	दो सूटकेस	22 किलाग्राम तक हर एक	लम्बाई+चौड़ाई+ऊँचाई 158 सेमी.
हैन्ड बैग्स	एक बैग	10 किलो ग्राम तक	23 सेमी. x 40 सेमी x 55 सेमी.

मजकूरा सूटकेस के अलावा दीगर सामान या हैन्डबैग नहीं ले जा सकते है। हज कमेटी ऑफ इन्डिया इज़ाफी सामान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी। हिदायत की अदम तामील सफर के किसी भी मरहले में सफरे हज की मन्सूखी और पूरी रकम की ज़ब्तगी की शक्ल में हो सकती है। तमाम हुज्जाजे कराम अपने सामान की शिनाख्त में आसानी के लिए जली (Bold) मार्कर पेन से इस पर कवर नम्बर, नाम, पता, परवाज़ नम्बर और इम्बार्केशन प्वाइन्ट सामान पर रेकार्ड करें। इन निशानात की अदम मौजूदगी में गुमशुदा सामान की शिनाख़्त करना निहायत मुशकिल होगा।

3.3 सामान खो जाने पर दावा करने का तरीका :

आगाज़े सफर के वक़्त हिंदुस्तान (एयरपोर्ट) और सऊदी अरबिया (एयरपोर्ट) पर सामान (चेक–इन बैगेज मुतल्लिक़ा हवाई कंपनीयों को चेक–इन काउंटर पर दें ताकि लगेज टैग जारी कर के आपके सामान पर लगाया जा सके। बैग टैग ज़रूर लीजिए। फ्लाईट से उतरने पर अगर कोई सामान ना मिले या नुक्सानज़दा हो तो नीचे दिए इक़दाम पर अमल करें :-

- आज़मीने किराम मुतल्लिक़ा एयरलाईंस के नज़दीकी गुमशुदा बैगेज काऊंटर पर राब्ता करें।
- गुमशुदा सामान का लगेज टैग दिखा कर शिकायत दर्ज कराएं।
- मुतल्लिक़ा एयरलाईंस के पास गुमशुदा सामान की शिकायत दर्ज कराकर शिकायत की एक कापी (PIR) अपने पास महफुज़ रखें।
- अगर गुमशुदा सामान हज की आख़िरी फ्लाईट की वापसी तक न मिल पाए तो अपने मुतल्लिक़ा सफरी कागज़ात के साथ और गुमशुदा सामान की दर्ज की गई शिकायत की बिना पर मुतल्लिक़ा हवाई कंपनी से बराहे रास्त अपने सामान के हरजाने/मुआवज़े का दावा दायर कर सकते हैं।
- गुमशुदा सामान के मुआवज़े का दावा करने की आख़िरी तारीख़ **10 अक्टूबर 2020** होगी।

3.4 बीमा के दावे का तरीक़ा :

हज कमेटी ऑफ इंडिया हुज्जाजे किराम के लिए बीमा/हरजाने की अदाएगी का नज़्म करती है। नक़द रक़म (सऊदी रियाल) और बैगेज के गुम हो जाने की सूरत में क़ौंस्लेट जनरल हिंद,जिद्दा की जानिब से सही तरीके से जांच करने के बाद मामले की असलियत और दावे की स्वीकार्यता पर फौसला किया जाता है। ऐसे आज़मीने कराम जिन का सामान या रक़म गुम हो जाए तो उन्हें मक्का मुकर्रमा/मदीना मुनव्वराह में मौजूद इंडियन हज पिल्ग्रीम्स ऑफिस के जनरल वेलफेयर विंग से रूजू करना चाहिये। ख़ुदा ना ख़्वास्ता किसी नागहानी मौत या माज़ूरी होने पर बीमा की रक़म के दावे को हज कमेटी ऑफ इंडिया बीमा कंपनी के ज़रिये से तय करती है। इस बारे में हज कमेटी ऑफ इंडिया क़ौंस्लेट जनरल ऑफ इंडिया, जिद्दा से तमाम कागज़ात हासिल करके बीमा कंपनी को मामला तय करने के लिए रवाना करती है। अस्पताल में दाख़िल होने या माज़ूरी की सूरत में हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजी के वतन वापसी के ख़र्च व व्हील चेयर इस्ट्रेचर के ख़र्च बरदाश्त करती है। हाजी के सऊदी अरबिया में कदम रखते ही बीमा कंपनी की ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है और सऊदी अरबिया छोड़ते ही ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है।

3.5 इम्बाकेशन प्वाइन्ट पर दरकार ज़रूरी दस्तावेजात :

- ऑन लाइन बुकिंग प्रिंट आऊट रसीद और सेलेक्शन लैटर।
- असल जमा पे–इन–स्लिप पर्ची
- हेल्थ, वैक्सीनेशन ऐंड ओ.पी.डी बुक्लेट

3.6 बुकिंग के बाद हुज्जाजे कराम को मन्दर्जाजेल चीजें लेने का मशवरा दिया जाता है :

- पासपोर्ट ई–वीज़ा के सफहे के साथ
- बोर्डिंग पास
- आई.डी. कार्ड
- स्टील ब्रेसलेट
- हेल्थ, वैक्सीनेशन ऐंड ओ.पी.डी बुक्लेट
- ई–ब्रसलेट

3.7 ममनूअ अशया और दूसरी पाबन्दियां :

- किसी भी किस्म की आतिशगीर अशया जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल और स्टोव वाली अशया किसी भी शक्ल में अपने साथ न ले जायें। अगर किसी आजिम को ममनूअ अशया के साथ पाया गया तो उसे सऊदी अरब क़वानीन के तहत सज़ा दीजाएगी।
- खशखश वायग्रा (Viagara) गोली, जिन्सी तेल या क्रीम, मसन्वी काफूर, सिसटोन, खमीरा, गुटखा, खैनी, पिपरमेन्ट या इस तरह की कोई भी नशीली अशया की दरआमदगी पर पाबन्दी है। इम्बार्केशन प्वाइन्ट पर आफिस कारकूनान को मजकूरा ममनूआ अशया को ले जाने से रोकने का इख्तयार हासिल है।
- हुकूमते सऊदी अरबिया में आने के वक्त अपने साथ किसी भी किस्म का सियासी लिटरेचर, फहश तसावीर या इस तरह के कोई भी जिन्सी सामान लाने पर पाबन्दी है। सऊदी हुकूमत ने मजीद आगाह किया है कि ऐसे अशखास को जो इन हिदायात की खिलाफवर्जी करेंगे, सख्त तरीन सजा दी जायेगी।
- हुकूमते सऊदी अरबिया ने गिजाई अशया, पकी हुई या कच्ची हालात में अपनी ममलकत में लाने पर पाबन्दी आयद कर दी है। लेहाजा आजमीने हज को तेल, घी, अचार, मछली, मिठाइयां तरकारियां फल या इन जैसी दूसरी अशया वगैरह अपने सामान के साथ या किसी दूसरे तरीके से सऊदी अरबिया में पहुँचाने की इजाजत न होगी। जिद्दा/मदीना या हिन्दुस्तानी एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ऐसी अशया जब्त कर लेंगे और आजमीन हज को उनके मफाद के पेशेनजर मशवरा दिया जाता है कि हज के लिए रवाना होते वक्त वह खाने–पीने की अशया लेकर न जायें। सऊदी हुक्काम की हिदायत के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुकर्रमा की NCNTZ कैटेगरी वाली बिल्डिंगों में खाना पकाने की सख़्त मुमानियत है। हुज्जाज को अपने खाने का इन्तजाम होटल वगैरह से खरीद कर करना होगा।
- आज़मीने हज को हिदायत दी जाती है कि वह अपने साथ टिकट, जरुरत से ज्यादा रकम और दीगर कीमती अशया मीना/अरफात न ले जायें। मीना में खाना पकाने पर सख्त पाबन्दी है। इसलिए आजमीन अपने साथ गैस सिलेन्डर, कूकर, मिट्टी का तेल का स्टोव और कोई भी आतिशगीर अशया वगैरह मीना में न ले जाऐं।
- हुकूमते सऊदी अरबिया ने आजमीने हज को तेजारती लेनदेन की इजाज़त नहीं देती। इस लिये आज़मीने हज को मुत्तेला किया जाता है कि अपने हमराह तेजारती अग़राज़ से ज़्यादा सामान ले जाने पर पाबन्दी है, इस कानून की ख़िलाफवर्ज़ी करने वाले आज़मीन के सामान की ज़ब्तगी की वजह से हवाई जहाज छूट जाये तो वह उस के खुद ज़िम्मेदार होंगे। ऐसी सूरत में किराया की रक़म भी ज़ब्त कर लीजाएगी।
- अगर कोई फक़ीर/भिखारी हाजी की शक्ल में हज कमेटी ऑफ इन्डिया की जानिब से जायेगा तो उसके ख़िलाफ मौजूदा कवानीन के तहत सख़्त कारवाइ होगी साथ ही सफरे हज को किसी भी हालत में मन्सूख कर दिया जायेगा और उसको हिरासत में ले लिया जायेगा और जमा की गई रक़म ज़ब्त कर ली जायेगी।

निम्न सामान साथ ले जाने पर पाबंदी

याद रखें कि कस्टम अधिकारियों को यह हक है कि वह कस्टम काउन्टर से हवाई जहाज़ तक आप के सामान की जाँच कभी भी कहीं भी कर सकते हैं।

- कच्चा या पका हुआ अनाज, सब्ज़ी, गोश्त वग़ैरह।

- किसी भी तरह का तरल पदार्थ।

- हथियार या उनके हिस्से, फौजी इस्तेमाल का सामान, बारुद, पटाखे, माचिस, लाइटर, राकेट वगैरह या बारुद से बना कोई सामान, धमाका खेज़ केमिकल्स।

- बच्चों को डराने वाली बंदूक की शक्ल के खिलौने।

- नंगी तस्वीरें, वीडियो कैसेट या इस किस्म का कोई भी सामान, क्रॉस (┼) या क्रॉस की शक्ल का कोई सामान।
- सिगरेट की शक्ल वाली कोई भी वस्तु जो सिगरेट के प्रोपेगन्डा के लिए हो।
- ऐसे मवाद जो गैर इस्लामी हो या सऊदी हुकूमत के खिलाफ हों।
- ज़हर और ज़हरीला सामान या इसके माद्दे से बना सामान।.
- तमाम ऐसा सामान जो अख्लाकी और इस्लामी उसूलों के खिलाफ हों।
- तमाम नशे का सामान, नशीली दवाईयां, अफीम, खशखश, चरस, मार्फीन, कोकीन या उनके माद्दों से बना हुआ कोई भी सामान।
- बड़ी साइज़ की तस्वीर / पेन्टिंगस जो बेचने की ग़रज़ से ले जाई जा रही हो।
- वे तमाम सामान जिस पर हुकूमत का निशान या अलामत बनी हो।
- वह तमाम सामान जिस पर इस्राइल का तारा (✡) या कोई निशान बना हो।
- काले रंग की तस्बीह के दाने जो किसी भी तरह से बने हों प्लास्टिक, कांच या दूसरी चीज़ों से।
- जंगली जानवर, परिन्दे, हाथी दांत, कस्तूरी, रेंगने वाले जानवरों का चमड़ा वगैरह।
- आप अपने साथ नियमानुसार विदेशी मुद्रा से ज़्यादा।
- हिन्दुस्तानी रकम 25,000/- रुपये से ज़्यादा अपने साथ न ले जायें।

3.8 हवाई अड्डे की तरफ :

- अगर हाजी की परवाज जिद्दा के लिए है तो हैन्ड बैग में एहराम और स्लीपर तैयार रखें। हवाइ जहाज़ में दाख़िल होने से पहले पहनें।
- अगर हाजी की परवाज मदीना है तो आम लिबास पहनें।
- कैंची, नेल कटर, सरौता, चाकू की तरह कोई भी तेज अशया आप अपने हैन्ड बैग में न रखें।
- हज हाउस/हवाई अड्डे पर चेक–इन के वक्त हुज्जाजे कराम सामान का टेग हासिल करें और इस बात को यक़ीनी बनालें के उन्हों ने अपने सामान पर बैगेज टैग चसपां कर दिया है जिस पर इनकी तफसीलात जिली हुरुफ में दरज हैं। इस की मदद से सामान को अलग करने और मज़कूरा मुक़ाम तक पहुंचाने में आसानी होती है। इलावह अज़ीं तमाम बैगेज/सामान पर कवर नंबर का दरज करना भी इंतेहाई ज़रुरी है क्योंकि टेग बैगेज से अलग होजाने की सूरत में कवर नंबर के ज़रिये बैगेज की पहचान आसानी से की जा सकती है।
- बैंक काउन्टर से रियाल हासिल करें और काउन्टर छोड़ने से पहले रकम की जाँच करें।
- अगर चेक–इन, एयरपोर्ट पर एहराम के साथ हो तो हाजियों को मुकर्ररा वक्त से 5 घन्टे पहले रिपोर्ट करना जरुरी है।
- हवाई अड्डे पर सामान की पहले जाँच होगी । बैग में किसी भी किस्म का ममनूअ सामान न रखें।
- चेक–इन होने वाले सामान में कीमती अशया, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, हेल्थ, वैक्सीनेशन ऐंड ओ.पी.डी बुक्लेट, शिनाख्ती कार्ड, अहम दस्वावेजात और जरुरी अदवीयात न रखें। चेक–इन बैगेज मक्का और मदीना में हुज्जाज कराम की रिहाईश तक पहुंचने में वक़्त लग सकता है। यह जरुरी है के अहम दस्वावेजात, अदवीयात एक लिबास(नमाज़ के लिए) अपने हैंड बैग में रख लें।
- सेक्योरिटी होल्ड इलाके में मुन्तकिल होने के बाद बैतुलखला/तहारत खाने का इस्तेमाल करें, वजू करें और एहराम बाँधें, वक्त के मुताबिक नमाज़ पढ़ें।(सिफ जेद्दा जाने वाले आज़िम)
- एयरलाइन्स की तरफ से ऐलान के बाद परवाज के लिये आगे बढ़ें।
- हवाई जहाज में दाखिल होने के बाद हाजी के लिये फराहम की गई नशिस्त पर बैठ जायें इसके बाद हैन्ड बैग को उसकी जगह पर रखें। जब सीट बेल्ट बाँधने का ऐलान हो तो सीट बेल्ट बाँध लें।
- अगली सीट की पुस्त पर बनी ट्रे का इस्तेमाल करके दौराने परवाज दिया हुआ खाना खायें। प्लेट अपने हाथ में पकड़ कर न रखें न अपनी सीट के नीचे रखें।
- तैयारे के फर्श पर पानी न गिरने दें, फर्श के नीचे बहुत से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक आलात नसब होते है। जिनमें पानी जाने से हादिसा हो सकता है।
- परवाज में बैतुलखला का कम इस्तेमाल करें, बैतुलखला में वजू अन्जाम न दें। जहाज़ में बैठने से पहले ही तमाम जरुरियात से फारिग़ हो लें और वजू भी कर लें। अगर जरुरत पड़े तो तयम्मुम कर लें।
- हुज्जाजे कराम एहराम में तलबिया दुहराते रहें।
- रास्तें में नमाज़ अदा न करें, हाजी अपनी सीट पर नमाज़ अदा कर सकता है।
- परवाज़ की तक़रीबन 5 घन्टे के बाद आप जिद्दा/मदीना एयरपोर्ट पर पहुँच जायेंगे। जहाज़ से उतरने की हिदायत मिलने तक सबर व तहम्मुल से बैठें रहें, ऐलान के बाद अपना हैन्ड बैग उठायें और ज़रुरी सामान उठाऐं।
- जिद्दा/मदीना एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की सुहूलत के लिये पासपोर्ट, विज़ा की प्रिंट आउट कापी और हेल्थ, वैक्सीनेशन एंड ओ.पी.डी. बुकलेट तैय्यार रखें।
- हवाई जहाज़ से एयरपोर्ट बिल्डिंग तक जाने वाली बसों में बैढ़ें।

चौथा बाब : हज के मज़हबी पहलू

4.1 सऊदी अरब पहुँचने पर उमरा :-

- जिद्दा पहुँचने वाले जो हुज्जाज हजे तमत्तो/हज केरान की नियत कर चुके हों उनको इम्बार्केशन प्वाइन्ट से ही एहराम में रहना होगा और मक्का पहुँचने के बाद वह सबसे पहले उमरा करेंगे।
- हुज्जाजे कराम हरम शरीफ जाते वक्त स्टील ब्रेसलेट, ई–ब्रेसलेट और मोअल्लिम की जानिब से फराहम करदा शिनाख्ती कार्ड अपने पास रखें।
- भीड़ में जाते वक़्त कम से कम नक़दी अपने साथ रखें ता कि गुम होने पर परेशानी ना हो। चोरी और जेब काटने के मामलात भी सामने आते रेहते हैं।
- हरम शरीफ रवाना होने से पहले रहनुमाई के लिए बिल्डिंग काउन्टर से राब्ता कायम करें।
- अपनी इमारत और हरम के करीब की निशानियों को बतौर रहनुमाई अपने जेहन में रखें। अज़िज़या मे मुक़ीम हुज्जाज कराम को अपना मुक़रा बस स्टैंड नंबर और हरम शरीफ से क़रीब तरीन बस स्टॉप की बख़ोबी पेहचान कर लेनी चाहिए।
- हरम शरीफ में दाखिले के वक्त दाखिली दरवाजा नंबर, रंग और अन्दरुनी मताफ का दरवाजा और रंग याद रखें।
- अगर आप अपने घर का रास्ता भूल जाऐं तो परेशन ना हों। हरम शरीफ और अतराफ में कई ठिकानों पर हिंदुस्तानी ख़िदमत गुज़ार तैनात रहते हैं उन से रुजू करें।

4.2 मीना को रवानगी से पहले मुंदरजा ज़ेलअशया साथ ले जायें :–

- जरुरी अदवियात
- मकामी मौसमी हालात के मुताबिक कपड़े
- खाने पीने की कुछ अशया
- कम मिक़दार में सऊदी रियाल
- एक अदद इज़ाफी एहराम सेट
- मोअल्लिम से लिया हुआ टेन्ट कार्ड
- हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिये दिया गया शिनाख्ती कार्ड
- टेन्ट नक्शा
- चश्में की इजाफी जोड़ी (जिनको जरुरत हो)
- मैट्रो ट्रेन की टिकटें (ऐसे आज़मीन कराम जिन्हें मशायर में ट्रेन के ज़रिये सफर करने की इजाज़त दी गई हो)

4.3 हज एक नज़र में

पहला दिन (8 ज़िलहिज्जा)	दूसरा दिन 9 ज़िलहिज्जा
दोबारा एह़राम पहनें और हज की निय्यत करें। सऊदी हुक्काम की मक्का मुर्करमा से मीना रवानगी का सिलसिला 7 ज़िलहिज्जा की गुरुब आफताब से ही शुरु कर देते हैं और यह सिलसिला 8 ज़िलहिज्जा की सुबह लग भग 9 बजे तक जारी रेहता है। हुज्जाज कराम को मीना रवानगी की इत्तेला बिलवक़्त दी जाती है, जूहर,असर,मग़रिब और इशा पढ़ें। सऊदी गाइडलाइंस के मुताबिक़ मीना से अरफात के लिए रवानगी 8 ज़िलहिज्जा को देर शाम से शुरु होगी और यह सिलसिला 9 ज़िलहिज्जा की सुबह लग भग 9 बजे तक जारी रेहता है। हुज्जाज कराम को अरफात रवानगी की इत्तेला बिलवक़्त दी जाती है।	ये दिन दुओं की क़ुबूलियत का और गुनाहों से निजात हासिल करने का दिन है, यहाँ मुकम्मल खुलूस और आजिज़ी व इंकेसारी के साथ वक़ूफ करें। खास कर नमाज़ें असर के बाद से मग़रिब की अज़ान के दरमियान और अल्लाह तआला से अपनी गुनाहों की मआफी तलब करें। सुरज डूबने पर मग़रिब की नमाज़ पढ़े बगैर मूज़दलिफा के लिये रवाना हो जाएं, मूज़दलिफा पहँच कर मग़रिब और इशा की नमाज़ एक साथ पढ़ें, रात यही गुज़ारें और मिना में जमरात को कंकरी मारने के लिए छोटी छोटी कंकरियां जमा करलें।

तीसरा दिन(10 ज़िलहिज्जा)	चौथा दिन (11 ज़िलहिज्जा)	पाँचवा दिन(12 ज़िलहिज्जा)
मिना जाएं बडी जमरात को सात कंकरियां मारें, कुर्बानी करें और बाल मुंडाएं या कतरवाएं या मक्का जाएं बाल मुंडाएं या कतरवाएं और एहराम उतार दें। तवाफे ज़ियारत करें फिर मिना में क्याम के लिये वापस जायें।	तिनों जमरात की रमी करें हर एक को सात सात कंकरियां मारें। तवाफे ज़ियारत करें अगर 10 ज़िल्हिज्जा को तवाफे ज़ियारत ना करसके हों तो। रात भर मिना में क़याम करें।	तीनों जमरात को सात सात कंकरियां मारें और मक्का मुकर्रमा रवाना होजाएं, तवाफे ज़ियारत करें अगर 10 ज़िल्हिज्जा को तवाफे ज़ियारत ना करसके हों तो। अगर कोई मिना में 13 ज़िल्हिज्जा तक ठ़हरता है तो 13 ज़िल्हिज्ज को ज़वाल से पहले रमी करे और मक्का रवाना हो जाए।

4.4 अय्यामे हज के लिए आम हिदायात (मशायर में क़याम) :

- मशायर में क़याम के दौरान हुज्जाज कराम को बहुत ज़्यादा पैदल सफर करना होता है। (मैट्रो इस्टेशन तक, जमरात तक वगैरा) ऐसे आज़मीन जो हज के लिए मुंतख़िब हुए हैं उन्हें चाहिए कि वह रोज़ाना चलने की मशक़ करें और ऐसे आज़मीन जो जिस्मानी तौर पर फिट नहीं हैं उन के साथ एक साथी और वीहल चैयर होना ज़रुरी है जो इन्हें हज के सफर में काम आसके।
- इजाफी चश्में/मोजे/अदवियात/मास्क रखें।
- मोबाइल फोन का इस्तेमाल बकद्रे जरुरत करें, फिर से जार्च करना मुश्किल हो सकता है, पावर बैंक साथ ले जा सकते हैं।
- मेट्रो ट्रेन का टिकट महफूज रखें।
- मीना कैम्प और गली का नाम, पोल नम्बर वगैरह सब याद रखें।
- मोअल्लिम का बावर्चीखाना एक वक्त में तमाम हाजियों की जरुरियात को पूरा करने के लिए छोटा होता है, यहां तक कि बेहतरीन इंतेज़ामिया होने के बाद भी खाने की तक़सीम में वक़्त लग सकता है।
- ज़्यादा तर मोअल्लिमीन हुज्जाज कराम को पहले से बने हुए खाने फराहम करते हैं जिस्की मीआद 6 से 12 महीने तक की होती है। बैनुल अक़वामी मेआर के मुताबिक़ यह फूड पैकिट इस्तेमाल करना मुनासिब है।
- बिस्किट, खुश्क फल वगैरह कुछ मोतबादिल रखें।
- बाहर और गन्दी जगह के खाने से बचें।
- ज्यादा फल खायें, खाने से पहले फल धो लें।
- हुज्जाजे किराम की कसीर तादाद में मौजूदगी के बाइस मिना में जगह की शदीद क़िल्लत दरपेश होती है लिहाज़ा हुज्जाजे किराम अपना और अपने साथी हाजी का सामान कम मिकदार में साथ रखें।
- अरफात मोवमेन्ट वगैरह के लिए मोअल्लिम से फराहम करदा शेड्यूल पर अमल करें।
- जहां तक मुम्किन हो बराहे रास्त सूरज की रोशनी से बचें।
- मीना, अरफात और मुज़दलिफा में बैतुल ख़ला/वाश रुम के इस्तेमाल करने के लिए हुज्जाज कराम को लम्बी क़तार में खडे हो कर 30 से 45 मिन्ट तक इंतेज़ार करना पढ़ सकता है।

4.5 मीना में :

- मीना में हिन्दुस्तानी कोन्सलेट का एक मेक शिफ्ट दफ्तर और डिस्पेन्सरी कायम की जाती है 7 ज़िल्हिज्जा से 14 ज़िल्हिज्जा तक।
- मीना में जगह की कमी की वजा से हर हुज्जाज कराम के लिए बहुत कम जगह दस्तियाब होती है।
- नाश्ता और दोनों वक्तों का तआम मकतब से फराहम किया जायेगा। ताहम, हुज्जाज कराम् की बडी तादाद और छोटी जगह की वजह से खाने की तक़सीम में वक़्त लग सकता है,

मकतब के अमले के साथ ताउन करें और बार्वची ख़ाने के अतराफ भीढ़ जमा करने से बचें।

- हज का असल वक्त 7 जिलहिज्जा से 13 जिलहिज्जा तक है। (मशायर मीना अराफात और मुजदल्फा में 6 दिन की मुद्दत तक होता है, जहाँ तमाम आजमीन जमा होते हैं।

4.6 अरफात में :

- अपने कैम्प का ठीक ताय्युन कर लें और कैम्प में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें।
- जरुरत के बगैर कैम्प छोड़कर न जायें।
- खैराती खाने से बचें।
- धूप में खड़े होने से बचें।
- मशरुबात/जूस बाकायदगी से लें। डीहाइड्रेशन से बचें।
- मग़रिब के बाद मुज़दलिफा रवानगी को लेकर मकतब के अमले की जानिब से दी जाने वाली हिदायात पर अमल करें।
- मीना, अरफात और मुज़दलिफा में बैतुल ख़ला/वाश रुम के इस्तेमाल करने के लिए हुज्जाज कराम को लम्बी क़तार में खडे हो कर 30 से 45 मिन्ट तक इंतेज़ार करना पढ़ सकता है।

4.7 मुज़्दलिफा में :-

- दस्तयाब जगह में कयाम करें।
- एक कवर के अफराद हर वक्त एक ही जगह कयाम करें।
- मुश्तरका गुसलखानों पर लिखे नम्बर जेहन नशीन कर लें। मीना, अरफात और मुज़दलिफा में बैतुल ख़ला/वाश रुम के इस्तेमाल करने के लिए हुज्जाज कराम को लम्बी क़तार में खडे हो कर 30 से 45 मिन्ट तक इंतेज़ार करना पढ़ सकता है।
- मेट्रो ट्रेन की सहूलत फराहमी की सूरत में जमरात स्टेशन तक वापसी पर मेट्रो ट्रेन से सफर करें।
- कम से कम सामान ले जायें।
- बिस्किट, खुश्क फल वगैरह कुछ मोतबादिल रखें।

4.8 मुज़दलिफा से वापसी :-

- मुजदल्फा से मीना वापसी पर बहुत से हाजी खो जाते हैं। ट्रेनर हाजियों को चौकस रहने रास्ता खोने की सूरत में न घबराने की तालीम दें, हाजी अपने गुम होने की सूरत में या तो गुमशुदा तलाश सेन्टर या(IHPO) के मीना कैम्प में पहुँच जाऐं।
- रमी के बाद गैर मजाज़ अफराद या जगह से अपने सर न मुन्डवायें।
- 11 या 12 जिलहिज्जा को तवाफे जियारत अन्जाम देने को तरजीह दें।
- बुर्जुग हुज्जाज को सफर के शुरुआती मरहले से आख़िरी मरहले तक मद्द फराहम की जानी चाहिए।
- दो पहिया गाड़ियों में लिफ्ट लेने से बचें।
- हुज्जाज कराम जमरात और हरम के दरम्यान आमदोरफ्त के लिए सऊदी पब्लिक ट्रांस्पोर्ट कम्पनी (SAPTCO) की बसों का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा हुजूम की वजा से बसों का मिलना बहुत मुशकिल हो जाती है और अगर बस मिल भी जाती है तो इस में बहुत भीढ़ रहेगी।
- जमरात में हुज्जाज कराम की बढ़ी तादाद मौजूद रहेगी जिस्की वजह से वहां बहुत हुजूम रहेगा इसलिए बूढ़े और कमजोर अफराद दूसरे हाजियों के जरिये रमी कराएं।
- सऊदी हुकूमत हाजियों को मीना में 13 जिलहिज्जा तक रहने की इजाज़त देती है।
- मम्लिकते सऊदी अरबीया के मातहत जुनूबी एशियाई मुअस्ससा के ज़रिए जारी करदा हिदायात का मजमुआ इस किताबचे में मुंसलिक है। (Annexure-III)

पाँचवां बाब : जब आप सऊदी अरब (KSA) में हों :

5.1 सऊदी अरब में हज कमेटी ऑफ इंडिया के हाजियों के लिये इन्तेजामात के तमाम पहलू हिन्दुस्तानी कोन्सल जनरल (CGI), जिद्दा की जेरे निगरानी होते हैं।

5.2 हज ऑपरेशन में कोन्सल जनरल (CGI), जिद्दा का किरदार :

- जिद्दा हज टर्मिनल और मदीना एयरपोर्ट में दफातिर कायम किये गये हैं, हाजियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिये जिद्दा टर्मिनल में डिस्पेन्सरी भी कायम की गई है।
- हिन्दुस्तानी हाजियों की सऊदी अरब आमद की देखभाल औार उनकी मक्का और मदीना की रिहाईशी इमारतों तक तरसील।
- हुज्जाजे कराम की इमीग्रेशन कार्वाई, सामान को बिल्डिंग तक पहुँचाने और मक्का मदीना की बसों में सवार कराने में मदद करना।
- रवानगी के मरहले के दौरान यह दफातिर हाजियों को उनकी रिहाईशी इमारतों से टर्मिनल तक पहुँचाने, इमीग्रेशन के मराहल से गुजरने और ज़मज़म की फराहमी में मदद फराहम करते हैं।
- हर हाजी को मकतब की तरफ से शिनाख्ती कार्ड जारी करवाना।
- हाजियों की शिकायतों का इज़ाला करना, हुज्जाज कराम अपनी शिकायत रिहाईशी इमारतों के शिकायती रजिस्र्टड या मोबाईल ऐप पर दर्ज करा सकते हैं।
- चोरी वगैरह के वाक्यात की सूरत में करीबी पोलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. के इन्दराज करने हुज्जाजे कराम की मदद के लिये अरबी जुबान बोलने वाले मौसमी कलर्कों को तैनात करना।
- आजमीने हज को मदीना टर्मिनल मुन्तकिल करने के लिये मोअल्लिम, कार सिन्डीकेट, जुनूबी एशियाई मोससा की मदद करना।
- आजमीने हज के आमदोरफ्त और रिहाईश की तफसीलात को Real Time Basis पर अपडेट करना।
- बेडशीट , तकिया, बाल्टियां, मग वगैरह की फराहमी की निगरानी करना।
- रवानगी के वक्त हुज्जाजे कराम के सामान को एडवान्स में जमा करवाना।
- शाखें, डिस्पेन्सरियां और मक्का और मदीना में हास्पिटल।

- **मक्का**
  - एक मरकज़ी हज दफ्तर
  - 16 शाखें
  - 16 डिस्पेन्सरियां
  - अज़िज़या में 40 बेड पर मुश्तमिल एक हास्पिटल अजीज़िया में 30 बेड पर मुश्तमिल एक हास्पिटल
  - NCNTZ कैटेगरी में एक 10 बेड वाला हस्पताल
- **मदीना**
  - एक मरकज़ी हज दफ्तर
  - 3 शाखें
  - 3 डिस्पेन्सरियां
  - 15 बेड पर मुश्तमिल डिस्पेन्सरी

- **मक्का और मदीना में हास्पिटल**
    - एक्स–रे /सोनाग्राफी/पैथालोजिकल तहकीकात की सहूलियात मक्का और मदीना के अस्पतालों में दस्तयाब है।

5.3 कोन्सल जनरल (CGI), के दफ्तर में मुख्तलिफ मेजों के अफआल :

- **कोआर्डिनेशन डेस्क :** इस डेस्क की बुनियादी फरायज तमाम शाखों, दफातिर और IHPO मक्का/IHPO मदीना/हज दफा/कम्प्यूटर सेल और हज टर्मिनल पर CGI आफिस के दरम्यान तआउन है, मुतवफीन की तदफीन इस डेस्क की जिम्मेदारी है। यह डेस्क पास्पोर्ट के गुम हो जाने और पास्पोर्ट जारी करने के मामलात़ भी संभालता है।
- **मदीना मुवमेन्ट डेस्क :** यह तमाम मुताल्लका मोअल्लिमीन के साथ राब्ते में रहता है और इस बात का तयक्कुन करता है कि हुज्जाज की मदीना मुन्तकली बरवक्त हो। हुज्जाज कराम की सहुलियात के लिए इन की असल रवानगी के वक्त मदीना मोवमेन्ट सेल के अमले के अफराद रिहाएशी इमारतों और मोअल्लिम के दफ्तर में मौजूद होते हैं और रिर्पाट जमा करते हैं। इस रिर्पोट में बस नंबर, बस में हाजियों की कुल तादाद और रिहाईशी इमारत नम्बर का इन्दराज होता है। इस रिर्पोट की बुनियाद पर एक अलाहेदा रिर्पोट मदीना दफ्तर भेजी जाती है, जिसमें बस नम्बर और बस में हाजियों की तादाद का जिक्र होता है, ताकि वह अपनी जरुरी कार्यवाही कर सकें, यह मश्क़ हज के बाद हाजियों को मक्का से मदीना मुंतक़िल करते वक़्त रोजाना की जाती है।
- **बिल्डिंग वेल्फेयर डेस्क :** इस डेस्क की जिम्मेदारी इमारतों के काबिल रिहाईश होने की पेशगी तस्दीक करना है, इमारत के ताल्लुक से शिकायत का इजाला करना भी इसी डेस्क की जिम्मेदारी है।
- **जनरल वेल्फेयर ऐन्ड CRT डेस्क :** यह डेस्क हुज्जाजे किराम के आम मसाएल जैसे सामान की गुमशुदगी, नकद रक़म की गुमशुदगी, चोरी के वाक़्यात, गुमशुदगी मौत, गिरफ्तारी, बीमारी वगैरह के लिए जिम्मेदार है।
- **गुमशुदा सामान डेस्क** : गुमशुदा सामान डेस्क की जिम्मेदारी हुज्जाजे कराम के गुमशुदा सामान को उन्हें बरवक्त वापस पहुँचाने की है।
- **खादिमुल्ल हुज्जाज और HGO डेस्क :** इस डेस्क की जिम्मेदारी (i) खादिमुल हुज्जाज और हज ग्रुप ऑरगनाइर्ज़स के कामकाज की निगरानी करना है। और (ii) यह इस बात का तयक्कुन करते हैं कि हज ग्रुप ऑरगनाइर्ज़स से आये हुए हुज्जाजे कराम को मुआहदे के मुताबिक़ सहूलियात फराहम की जाएं।
- **रवानगी सामान सेल : DBC : Departure Baggage Cell** हर शय चेक–इन करने वाले हाजियों के सामान को फ्लाइट की रवानगी से 24 घन्टे पहले रिहाईशी इमारत से जमा करता है। मक्का में अपनी रिहाईशी इमारतों से जेद्दा एयरपोर्ट जाते वक़्त या मदीना में अपनी रिहाईशी इमारतों से मदीना एयरपोर्ट जाते वक़्त सिर्फ अपना हैंड बैग साथ लें।
- **कन्ट्रोल रूम (CR) :** दौराने हज IHPO मक्का में एक कन्ट्रोल रुम कायम किया जाता है उसकी कारकर्दगी 7 जिलहिज्जा के शाम से 13 जिलहिज्जा की सुबह तक 24 घन्टे शुरु रहती है। यह कोन्सल (हज) की बराहेरास्त निगरानी में काम करता है। और ब्रान्च ऑफिस के साथ मुसलसल राब्ताकारी में हुज्जाजे कराम की मीना की तरफ नकल व हरकत पर नजर रखता है।

- **हरम टास्क फोर्स** : एक टास्क फोर्स कायम की गई है जिसमें तीन टीमें चार मरकजी दरवाजों, शाह अब्दुल अजीज गेट, शाह फहद गेट, शाह अब्दुल्ला गेट और मरवा गेट के सामने तैनात होती हैं। रास्ता खोने वाले हुज्जाज को उनकी रिहाईशगाह पर पहुँचाना है।

- **कम्प्यूटर सेल IHPO, अज़िज़या** : कम्प्यूटर सेल इत्तलाती प्रोसेसिंग का मरकज है। IHPO अज़िज़या, हज कमेटी ऑफ इन्डिया और जुनूबी एशियाई मोअस्ससा के कम्प्यूटर सेल के सरवर मुन्सिलिक होते है, डेटा को एक REAl TIME की बुनियाद पर Share करते हैं। कम्प्यूटर सेल के अहम अफआल में से हाजियों के लिए रिहाईश एलाट करना भी है। एलाटमेन्ट हुज्जाजे कराम की आमद से 36 घन्टे कब्ल मुकम्मल हो जाती है। रिहाईशगाह की एलाटमेन्ट के बाद मुताअल्लका इम्बार्केशन के ऐतबार से मकतब नम्बर के साथ–साथ हाजियों की रिहाईशगाह की तफसीलात के बार कोड स्टीकर्स मुसाफिर के पासपोर्ट पर चस्पा किये जाते हैं। इससे हाजियों को उनकी रिहाईशगाह का पता लगाने और रास्ता खो जाने की सूरत में मददगार साबित होते हैं।

  कोन्सलेट की वेबसाइट पर हज के लिए एक अलाहेदा सेक्शन है, जो हज से मुताल्लिक तफसीलात को रोजाना अपडेट करते हैं। हुज्जाज की मक्का और मदीना की रिहाईशगाहों और परवाज की तफसीलात वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। हज रिर्पोट फेसबुक और यू ट्यूब पर भी दस्तयाब होगी, कम्प्यूटर सेल Hospitalisation और अमवात की वजह से होने वाली तब्दीलियों को Passanger Manifesto में अपडेट करता है, जिन हुज्जाज के शिनाख्ती कार्ड खो गये हों, कम्प्यूटर से उन्हें डुप्लीकट शिनाख़्ती कार्ड जारी करता है।

- कौन्सलेट ने एक ऐप (इंडियन हाजी इन्फार्मेशन सिस्टम) तैयार किया है जिस में हाजियों की अहम तफ्सीलात मौजूद है। इस के साथ ही साथ दूसरी ख़िदमात शामिल की गई हैं। जैसे मुक़ामी रहनुमाई अगर रिहाईश फराहम की गई है। हुज्जाजे किराम जल्द अज़ जल्द इज़ाले के लिए अपनी शिकायतों को भी इस ऐप पर दर्ज करा सकते हैं।

- **अज़ीज़िया ट्रान्सपोर्ट डेस्क** : यह डेस्क अज़ीज़िया में कारगुज़ार है। जो भी बसें अज़ीज़िया कैटेगरी वालों के लिए मोहैया की गई है वह सब उसी की निगरानी में रहेंगी, बसों की कारकर्दगी में किसी भी किस्म की कमी की शिकायत इसी डेस्क को की जायेगी।

- **हेल्प लाइन डेस्क** : हेल्पलाइन मरकजी दफ्तर IHPO, अज़िज़या में चौबीस घन्टे कारगुज़ार है। दो हेल्पलाइन 012–5458000 और 012–5496000 और एक टोल फ्री नम्बर (8002477786)इस डेस्क की निगरानी में हैं। आजमीने हज किसी भी वक्त इससे फ़ायदा उठा सकते हैं । WhatsApp नंबर 00966–559817966 भी जारी किया गया है जो 24X7 काम करता है।

5.4 ब्रान्च ऑफिस के फंक्शन :

- इस बात को यकीनी बनाना कि मकतब मुख्तलिफ मजहबी रुशूमात की कारकर्दगी में आजमीने हज की मदद कर रहे हैं।
- मकतब की तरफ से हर हाजी को शिनाख्ती कार्ड जारी करवाना।

- हाजियों से मुसलसल राब्ता रखना उनकी शिकायत सुनना खुसूसन रिहाईशी इमारात के मुतालिक।
- रिहाईशी इमारतों में हुज्जाजे कराम के नुमाइन्दों से मुलाकात।
- चोरी वगैरह के वाक्यात की सूरत में करीबी पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. के इन्द्राज करने, हुज्जाजे कराम की मदद के लिए अरबी जुबान बोलने वाले मौसमी क्लर्कों को तायनात करना।
- रिहाईशी इमारात में फराहम करदा खिदमात के ताल्लुक से शिकायात के लिए रजिस्टर रखना।
- आम शिकायात और बिल्डिंग से मुतअल्लिक़ शिकायात और इन के इज़ाले के मुतअल्लिक रजिस्टर में इंद्राज वगैरा।
- फँसे हुए/बीमार हाजियों की फौरी मदद करना। बीमार हुज्जाजे कराम की इत्तला मेडिकल मिशन को देना।
- कम्प्यूटर के डेटा बेस के जरिये फँसे हुए हुज्जाजे कराम की उनकी रिहाईशगाह की तरफ रहनुमाई करना।
- हुज्जाजे कराम का खोया हुआ सामान हज टर्मिनल/मेन हज ऑफिस से इत्तला मोसूल होने पर मुनासिब तस्दीक के बाद फराहम करना।

5.5 सऊदी अरबिया में आमद के बाद :-

5.5.1 एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन की कार्वाई में काफी वक्त लग सकता है (तकरीबन 2 से 4 घंटे) आज़मीन हज सबर से काम लें।

- इमिग्रशन के बाद हुज्जाजे कराम, कनवेयर बैलट से अपना सामान हासिल करें अगर आपका सामान नहीं मिलता है तो आप हवाई अडडे के हुक्काम या हवाई जहाज़ के अमले से शिकायत दर्ज कराऐं।
- अपना सामान हासिल करने के बाद हुज्जाज कराम कस्टम काऊंटर की तरफ रवाना हो जाएं।
- हवाई अडडे से बाहर निकलने के बाद मक्तबुल वुक्ला के अमले(युनाईटेड ऐजेंटस ऑफिस) के जरिए ट्रॉली पर लोड किया जाएगा। हुज्जाज कराम यह सामान मक्का/मदीना में
- अपनी रिहाईश पर पहुंचने के बाद हासिल करेंगे। सामान पर लगे हुए बैगेज टेग की वजा से सामान को मुर्क़रा हुज्जाज कराम तक पहुंचाने में आसानी होगी।

5.5.2 मक्का में मोअल्लिम के दफ्तर/बिल्डिंग में :

- मोअल्लिम आजमीने हज का इस्तकबाल करेंगे।
- खाने के पैकेट्स की तकसीम
- हवाई अड्डा पर मकतबुल उकुला का स्टाफ हाजियों के पासपोर्ट जमा करेगा जिन्हें हुज्जाज की बस का ड्राइवर ले जायेगा और वह मोअल्लिम के ऑफिस में जमा होंगे।
- ब्रेसलेट और मकतब शनाख़्ती कार्ड की तकसीम जिस पर मकतब नम्बर और मोअल्लिम का फोन नम्बर मौजूद होता है।

5.6 रिहाईश :

5.6.1 महफूज रिहाईश स्कीम :

- सऊदी कवानीन के मुताबिक हुज्जाजे कराम के लिए रिहाईश का इन्तजाम सऊदी अरबिया में उनकी आमद से कब्ल कोन्सलेट जनरल ऑफ इन्डिया के जरिये करना लाजमी है।
- मक्का में हर आज़िम के लिए जाये रिहाईश 4 स्क्वायर मीटर दस्तयाब है। मदीना में

इमारत की तशरीह के एतबार से हुज्जाज कराम की तादाद तय की जाती है। मदीना में कमरे निस्बतन तंग होते हैं।

- मक्का और मदीना में हुज्जाज कराम के लिए रिहाईश का इंतेज़ाम उन के मुक़रा रिहाईश तक पहुंचने से पहले ही किया जाता है। हुज्जाज कराम को रिहाईशी कमरे की इत्तेला दे दी जाती है।
- मक्का और मदीना में किराए पर ली गई इमारतें आम इमारतें होती हैं लिहाज़ा इन इमारतों में इस्टार होटलों के जैसी सहुलियात मयस्सर नहीं होती।

5.6.2 मक्का में रिहाईश :

- मक्का में रिहाईश NCNTZ कैटेगरी और अज़ीज़िया इन दो जुमरों पर मुस्तमिल है।
- रिहाईश जुमरा का इन्तखाब हतमी और नाकाबिले तबदील होगा। रिहाईश जुमरों और अख्राजात की तफसील मन्दर्जाजेल है :–

अ) NCNTZ (Non Cooking Non Transport Zone) कैटेगरी :

- इस जुमरे में रिहाईश हरम शरीफ की बाहरी हुदूद से 1 किलो मीटर तक की दूरी पर दी जाएगी।
- चूंकि हरम शरीफ(मस्जिद हराम) का अरीज़ा काफी वसी है लिहाज़ा ख़ाना–ए–काबा से बाहरी हुदूद का फासला 500 मीटर ता 1000 मीटर इज़ाफी है जिस की वजा से रिहाईश से दूरी और ज़्यादा होगी।
- आजमीन को अपनी रिहाईश से पैदल चलकर या अपने खर्च पर टैक्सी के जरिये हरम शरीफ पहुँचना होगा।
- सऊदी हुकूमत के इन्तिबाह के मुताबिक मक्का में NCNTZ जुमरे में तमाम रिहाईशी इमारतों मे खाना पकाने की सख़्त ममानियत है। लिहाज़ा इस जुमरे में किचन की सहूलत दस्तयाब नहीं है। चंद इमारतों मे बार्वची खाना होने के बावजूद खाना पकाने पर पाबंदी है।
- NCNTZ जुमरे में अज़िज़या जुमरे की ब निस्बत ज़्यादा किराया हरम शरीफ से नज़दीकी की वजा से है। हुज्जाज कराम यह ना समझें कि NCNTZ जुमरे की इमारतें अज़िज़या ज़मरे की इमारतों से बेहतर है।
- NCNTZ जुमरे में रिहाईश अलॉट करने का ना तो मदीनां की रिहाईश से कोई सरोकार है ना ही मशायर में किए गए इंतेज़ामात से।
- NCNTZ जुमरे में हुज्जाज कराम को मदीना और मशायर (मीना, अरफात, मुज़दलिफा) में किसी भी तरह की कोई ज़ाएद सहुलियात फराहम नहीं की जाती ना ही मक्का में इन्हें किसी मख़्सूस या ज़ाएद सहूलतें फराहम की जाती हैं।
- आजमीने केराम को खाने पीने की अशिया वहाँ मौजूद किसी भी होटल, रेस्टोरेन्ट वगैरह से खुद खरीद कर लेना होगा।
- इस जुमरे में रिहाईश की शरह हज 2019 में 4,500 सऊदी रियाल फी हाजी थी।

ब) अज़ीज़िया :

- अज़ीज़िया जुमरे का इन्तेख़ाब करने वाले आज़मीन को अज़ीज़िया और इसके गिरदोनवाह के इलाके जो कि ह़रम शरीफ से लगभग 7–8 किलो मीटर की दूरी पर वाके है, में ठहराया जाएगा।
- इस जुमरे के हुज्जाज के लिए हरम शरीफ जाने के लिए रिहाईश इमारत के नज़दीक बस प्वाईंट पर बसों का इन्तेज़ाम किया जाएगा। A/C निचली उठान वाली बसें हरम शरीफ लाने ले जाने के लिए 24 घंटे मयस्सर रेहती हैं।
- अज़ीज़िया जुमरे में बार्वची खाने की सहूलियत इजतेमाई तौर पर मौजूद रहती हैं(30 या उस से ज़ाएद हुज्जाज कराम के लिए एक बार्वची खाना दस्तियाब रहता है)। हिंदुस्तानी हज दफतर वाले दो मरतबा मुफत में गैस सैलेंडर रीफिल कर के देते हैं। इस के बाद हर बार गैस रीफिल करने की रक़म अदा करनी होती है। इस मामले में ब्रांच ऑफिस का अमला मदद करता है।

- हज 2019 में अज़ीज़िया जूमरे में रिहाइश की शरहं ट्रान्सपोर्ट मिलाकर सऊदी रियाल 2515 फी हाजी है।

नोट : NCNTZ जुमरे में रिहाईशी इकाईयां माकुल तादाद में मयस्सर ना होने की सूरत में कुरआ अनदाज़ी के ज़रिए रिहाईश का इंतेख़ाब किया जाएगा और बाक़ी हुज्जाज कराम को अज़िज़या जुमरे मे रिहाईश फराहम की जाएगी। अज़िज़या जुमरे मे अगर रिहाईशी इकाईयां मयस्सर ना हों तो किसी भी इलाक़े में रिहाईश का इंतेज़ाम किया जाएगा।

5.6.3 मदीना मुनव्वरा :

अन्दरुन मरकजिया इलाका :

- मदीना मुनव्वरा में मस्जिदे नबवी के एतराफ होटल की तरह के रिहाईशी इकाइयाँ रिंग रोड के अन्दर इलाके में 500 मीटर के अन्दर दस्तयाब हैं।
- मरकजिया इलाका से बाहर (फर्स्ट रिंग रोड के बाहर लेकिन मस्जिदे नबवी के बाहरी हुदूद से ज्यादा से ज्यादा एक किलोमीटर के फासले पर)।
- हज कमेटी ऑफ इन्डिया के तमाम आजमीन को मरकजिया इलाके के अन्दर रिहाईश मुहैया कराने की अजहद कोशिश की जाती है। मरकज़िया इलाक़े में रिहाईश का माकूल इंतेज़ाम ना होने की वजह से मरकज़िया इलाक़े से बाहर भी इमारतें किराए पर ली जाती हैं।
- हज 2019 में मरकज़िया और बैरुनी मरकज़िया इलाक़े में हुज्जाज कराम की रिहाईश का तनासुब 60:40 था।
- चूंकि मदीना में हुज्जाज कराम की रिहाईश का इंतेख़ाब आख़री लम्हात में होता है लिहाज़ा हर हाजी से मरकज़िया इलाक़े के हिसाब से रक़म वसूल की जाती है। जिस हाजी को मरकज़िया इलाक़े में रिहाईश नहीं मिलती उसे ज़ायद किराए की रक़म वापस की जाती है।
- तमाम हुज्जाज कराम को 8 दिनों के लिए मदीना में रिहाईश का इंतेज़ाम किया जाता है ता कि बा जमात 40 नमाज़ों का एहतेमाम किया जा सके।
- किसी भी किस्म की मदद के लिए IHPO, ब्रान्च ऑफिस डिसपेन्सरी से राब्ता कायम करें।
- मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के रिहाईशी मकानात का तकाबुला या मवाजना ना करें, दोनों मुख्तलिफ हैं।
- मदीना मुनव्वरा में तआम की सहूलत मुहैया नहीं है, इमारत में खाना बनाने की इजाजत भी नहीं है। हुज्जाज को खाना रेस्टोरेन्ट से खरीदना होगा।

5.6.4 रिहाईशी सहूलियात :

- हर हाजी को एक गद्दा और एक तकिया से लैस बिस्तर मुहैया किया जायेगा।
- कमरे एयर कन्डीशन्ड होते हैं। हर कमेर के साइज मुख्तलिफ होते हैं जिनमें एक से दस हुज्जाजे कराम ठहराये जा सकते हैं।
- 12 हुज्जाजे कराम से ज्यादा एक तहारत खाने को इस्तेमाल नहीं करेंगे।
- हर बिल्डिंग में सऊदी हुक्काम की जानिब से सऊदी जवाबित के तहत ज़मज़म मुहैया कराया जाता है।
- जगह की सफाई और इन्तजामात के लिए बिल्डिंग मालिक का अमला जिम्मेदार है।
- मक्का मुकर्रमा के दोनों रिहाईशी जुमरों औरमदीना मुनव्वरा में भी आजमीने कराम

को कमरे, तहारतखाना व गुसलखाना दूसरे हुज्जाजे कराम के इस्तराक में इस्तेमाल करना पड़ेगा।

- सभी बिल्डिंगों में लिफ्ट की सहूलत दस्तयाब है।
- एक कवर के तमाम हुज्जाज कराम को एक ही कमरे में ठहराने की अज़हद कोशिश की जाती है। फिर भी यह मुमकिन है कि एक ही कवर के हुज्जाज कराम बाजु बाजु के दो कमरों में रिहाईश पज़ीर हों। यह भी मुमकिन है कि दो कवर के हुज्जाज कराम को एक ही कमरे में रिहाईश फराहम की जाए।
- उमर रसीदा आज़मीन को तरजीहन निचली या दूसरी मन्जिल पर ही जगह दी जाती है।

5.6.5 हज के दौरान, हाजियों को मुहैया कराये जाने वाली सहूलियात :

- तमाम मरहलों में हाजियों की उमूमी खिदमात :
- मोबाईल एप "Indian haji Information System"
- अजीजिया जुमरे के हाजियों को बस ट्रान्सपोर्ट की सहूलत।
- चादर, तकिया, बाल्टी व दिगर आइटम की फराहमी।
- "Online Complaint Management System"
- ''40 मिनट का हज फिल्म युटूब और कौन्सलेट के वेबसाइट पर मौजूद है।
- सऊदी ज़वाबित के तहत मशायर में मेट्रो ट्रेन के टिकट की तक़्सीम। सऊदी हुक्काम मशायर में मुंतख़िब हुज्जाज कराम को मेट्रो ट्रेन की सहुलियत फराहम करते हैं।
- अदाही(कुर्बानी) कूपन की तक़सीम।
- हिंदुस्तान में ही सऊदी सिम कार्ड की तक़सीम।
- हुज्जाजे कराम के लिए चेक–इन बैगेज ''रिमोट चेक–इन''
- हिंदुस्तान पहुंचने के वक्त 5 लीटर ज़मज़म की फराहमी।
- मक्का/मदीना/जेद्दा हज टर्मिनल पर हस्पताल और ब्रांच डिस्पेंसरी की सहूलियात हर वक़्त मौजूद रहती है।

5.6.6 अजीजिया ट्रान्सपोर्ट :

- हुज्जाजे किराम को 24x7 बस के ज़रिए सफर की सहूलियात सऊदी हुक्काम के तरतीब दिये गए तरीक़े से मुहय्या कराई जाती है।
- हिंदुस्तानी हज दफतर के ज़रिए फराहम की जाने वाली बसों को हरम शरीफ से सुरंगों में दाख़िल होने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ सऊदी हुक्काम ही बसों को सुरंग के पार हरम शरीफ के क़रीब ले जाने के अहल हैं। लिहाज़ा इन रास्तों पर हुज्जाज कराम को अज़िज़या ट्रांस्पोर्ट वाली बसों से उतर कर हरम शरीफ के लिए सुरंग पार जाने वाली बसों में सवार होकर सफर करना होगा। यह शटल(SHUTTLE) बस सेविस कहलाती है।
- जब हुज्जाज कराम जुम्मा और इशा की नमाज़ें अदा करने के बाद हरम शरीफ से घर जाने को निकलते हैं तो माकूल तादाद में बसें होने के बावजूद भी भारी हुजूम हो जाता है। लिहाज़ा हुज्जाज कराम अपनी सहुलियत से और भीढ़ से बचने के लिए हरम शरीफ से ताख़ीर से बाहर आएं।
- यह भी कर सकते हैं कि हरम शरीफ पहुंचने में जलदी करें और हरम शरीफ से ताख़ीर से बाहर निकलें। ऐसी सूरत में खाने की चंद अशिया अपने साथ ले लें।

5.6.7 हरम शरीफ की जियारत के लिए कुछ अहम हिदायात ।

- अपने जजबात को काबू में रखें।
- सादा लिबास में पुलिस और क्लोज्ड सर्किट टी.वी. कैमरे निगरानी रखते हैं, कोई भी गैर मामूली हरकत फौरी नजर में आ जाती है।
- आजमीने हज जमीन पर गिरी हुई अशया को न छुएं और जो चीज उनकी मिल्कियत में न हो उसे न हाथ लगाएं। पिछले सालों में यह देखा गया हैं कि हुज्जाज कराम को इसकी वजा से संगीन नताएज का सामना करना पढ़ा।
- आजमीने हज किसी भी वजह से पुलिस या मजहबी रजाकार जो मस्जिदे हरम में तैनात होते हैं, किसी के साथ बहसोमोबाहसे में न उलझें।
- आजमीने हज अपने जूते चप्पल के लिए एक प्लास्टिक की थैली हमेशा अपने पास रखें।
- ज़्यादा नकदी और कीमती अशया लेकर न जायें। चोरों से होशियार रहें।
- हरम शरीफ में और आस पास जेब कत्रों/पोरों से होशियार रहें।
- आजमीने हज हमेशा अपना शिनाख्ती कार्ड, शिनाख्ती ब्रेसलेट, हेल्थ वैक्सीनेशन एण्ड ओ.पी.डी. बुक्लेट और मोबाइल फोन साथ रखें।
- दाखली दरवाजों का रंग, नम्बर शिनाख़्ती तौर पर याद रखें।

- हिन्दुस्तानी हज मिशन ऑफिस (IHPO) का टास्क फोर्स अमला नीली जैकेट में मलबूस जिस पर INDIA लिखा होता है। हरम शरीफ के बाहर सभी दरवाजों पर मौजूद होता है।
- हमेशा रास्ता पार करते वक्त पहले बायें देखें फिर दायें देखें फिर सड़क पार करें।
- अजीजिया जुमरे के आजमीने हज अपना बस रुट नम्बर याद रखें।
- टैक्सी में बैठते वक्त ख्वातीन को आखिर में बैठने दें और पहले बाहर निकलने दें। टैक्सी ड्रायवरों के ज़रिये धोका धही से बचें।
- अजनबियों से खाने पीने की अशिया/मशरुबात/सोफ्ट ड्रिंक्स कबूल न करें।
- हरम शरीफ में कैमरा साथ ना ले जाऐं।

5.6.8 क्या करें और क्या न करें (Do' and Don'ts.)

- हरम शरीफ व दिगर भीड़–भाड़ के इलाकों में जाते वक्त कम से कम नकदी और कीमती अशया अपने पास रखें।
- टैक्सियों में सफर करते वक्त होशियार रहें। अकेले टैक्सी में सफर करने से गुरेज करें। टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नम्बर नोट करने की कोशिश करें।
- ख़्वातीन अकेले सफर न करें हमेंशा अपने महरम के साथ सफर करें ख्वातीन के हमराह टैक्सी में सफर करते वक्त मर्द पहले टैक्सी में बैठें और आखिर में उतरें। ख्वातीन को टैक्सी में अकेला न छोड़ें।
- अजनबी अशखास से मुफ्त खाना, चाय, बैग वगैरह न लें। बाज अवकात लोगों ने भरोसा हासिल करके धोका दिया है।
- अपना सामान अपनी निगाहों से दूर न छोड़ें। अजनबियों की दी हुई कोई चीज बिना मुनासिब जाँच के न लें।
- आजमीने हज जमीन पर गिरी हुई अशया को न छुएं और जो चीज उनकी मिल्कियत में न हो उसे हाथ न लगायें, क्लोज्ड सर्किट टी.वी. कैमरे लगे हुए हैं, दूसरों की चीजें लेने के जुर्म में जेल भी हो सकती है।
- हरम शरीफ में अपना सामान हमेशा अपने पास रखें।
- धोकादेह मोबाइल मैसेज/काल के झाँसे में न आयें, किसी भी किस्म की मोबाइल लाट्री स्कीम में हिस्सा न लें। इस क़िस्म के मैसेज की रिर्पोट नज़्दीकी ब्रांच ऑफिस में दर्ज करायें
- अपने पासपोर्ट और दिगर अहम दस्तावेजात की जेराक्स कॉपी अपने पास रखें।
- किसी अजनबी के इशरार पर किसी भी प्राइवेट गाड़ी में न बैठें।
- अदाही कूपन अनजान आदमी से ना खरीदें आई. डी. बी. कूपन इख़्तियारशुदा दूकानों

जैसे सऊदी पोस्टेज पर मौजूद हैं हाजी बराहे रास्त इन से खरीद सकते हैं।

- मोबाइल रिचार्ज, बाउचर्स हमेशा मुसद्दका आउटलेट से ही लें, फेरी वालों से गुरेज करें।
- मीना में इमारतों/टेन्टों को मश्क करने पर जुर्माना भरना होता है, बराये करम टेन्ट पर कुछ न लिखें न ही उसे खराब करें।
- एयरपोर्ट पर आमद के वक्त अपने पासपोर्ट और नकद रकम की हिफाजत करें। तमाम रकम एक जगह रखने से गुरेज करें। हैंड बैग और दीगर सामान पर अपना नाम और कवर नंबर ज़रुर लिखें।

5.6.9 सऊदी अरब में मुकीम आजमीने हज के लिए जरूरी हिदायात

- तमाम आजमीने हज के लिए बेहतर है कि सऊदी अरब में कयाम के दौरान वह हमेशा अपना मोबाइल अपने पास रखें।
- मुजाहिरों और एहतजाज में हिस्सा न लें।
- किसी भी किस्म का लिटरेचर तकसीम न करें।
- मगरबी तर्ज के बाथरुम का इस्तेमाल सीख लें।
- लिफ्ट का इस्तेमाल जान लें। लिफ्ट के आस–पास पानी न डालें।
- हिन्दुस्तान के खिलाफ सऊदी अरब में ट्रैफिक उल्टी सिम्त में बहता है। चूँकि हिन्दुस्तानी आजमीन इस बात का ख्याल नहीं रखते इसलिए हादसात होते हैं।
- अजनबियों को अपने कमरे में आने न दें। अपने हमराही हाजी के सामान की चोरी का जिम्मादार आप को ठहराया जा सकता है।
- टैक्सियों में अकेले सफर न करें। हत्ता कि मुक़द्दस मुक़ामात पर भी चोरी, जेब काटने और धोकाधडी के मामलंत होतें हैं। लिहाज़ा हुज्जाज कराम अपने क़ीमती सामान को ऐहतियात से रखें।
- जब भी टैक्सी में सफर करें। ख्वातीन को हमेशा आखिर में दाखिल होने दें और पहले उतरने दें।
- अपने करीबी ब्रान्च ऑफिस (IHPO) की जानकारी रखें।
- अहम टेलीफोन नम्बर नोट करके रखें।
- तमाम अहम दस्तावेजात जैसे पासपोर्ट वगैरह की नकल इन्डिया में अपन रिश्तेदारों के पास रखें।
- एक दस्ती बैग जिसपर अपना कवर नम्बर, नाम, बिल्डिंग नम्बर, फोन नम्बर, पता वगैरह लिखा हुआ हमेशा अपने पास रखें।
- सबर का मुजाहरा करें और रद्देअमल न करें।

5.6.10 हज फिल्म :

हिन्दुस्तानी कोन्सलेट ने हज इन्तेजामात पर मब्नी एक फिल्म बनाई है जो हाजियों की तरबियत के दौरान तमाम मुल्क में रियासती हज कमेटी के जरिये दिखायी जायेगी। आजमीने हज इसे देख सकते हैं जिसे मनासिके हज समझने में आसानी होगी। एयरलाइन्स से भी कहा जाता है कि वह यह फिल्म दौराने सफर हाजियों को दिखायें।

5.6.11 सिम कार्ड :

कोशिश की जाएगी कि हुज्जाज कराम को सऊदी कंपनी का सिम कार्ड हिंदुस्तान के के तमाम 22 मरकज़ रवानगी पर मुफत मुहय्या कराया जाए। सिम कार्ड का जैकिट/कवर हुज्जाज कराम एहतियात से अपने साथ ले जाऐं कियोंकि सिम कार्ड चालू (ACTIVATE) कराने में इस्की अशद ज़रुरत होती है। अगर मुफत सिम कार्ड दस्तियाब ना हो तो आज़मीन हज को अपने ज़ाती सिम कार्ड ख़रीद कर एक्टीवेट करवाने होंगे। सऊदी क़ानून के मुताबिक़ इमिग्रेशन कंट्रोल नंबर और फिंगर प्रिन्ट सिम कार्ड ऐक्टीवेशन के लिए जरुरी है।(IHPO) सऊदी टेलीकॉम कम्पनी को अपने मोबाइल सेन्टर, मक्का औरमदीना के ब्रान्च ऑफिस /बिल्डिंग्स में लगाने की इजाजत देगा और सिम कार्ड खरीदनेऔर एक्टीवेट करवाने में हाजियों की मदद करेगा। हुज्जाज कराम रास्त कम्पनी के रिटेलशॉप या ब्रान्च ऑफिस में मौजूद मोबाइल सेन्टर से सिम कार्ड खरीद सकते हैं।

छठा बाब : तिब्बी/हंगामी एक्दामात

6.1 तिब्बी जांच :

सऊदी कानून के मुताबीक, हाजीयों की तिब्बी जांच की रिपोर्ट लाजमी है ताकि सेहतमंद हाजी हज के लिए जा सकें। इसके लिए तिब्बी जांच दो मरहलेमे की जाती है ।

अ) पहला मरहला - फिटनेस सर्टिफिकेट :-

पहले मरहले की तिब्बी जांच इन्तखाब के वक्त होती है। हर मुतखब हाजी के लिए जरुरी है कि वो तिब्बी जांच का कॉलम भरे और हुकुमत से मंजूरशुदा M.B.B.S./ सरकारी डॉक्टरसे फिटनेस सर्टिफिकट मशरु फॉरमॅट मे हासील करे। इस सर्टिफिकट को रियासती हज कमिटी को अपने पेशगी रकम की अदायगी के Pay-in-Slip के साथ जमा करे.

ब) दुसरा मरहला - हेल्थ, वैक्सीनेशन एण्ड ओ.पी.डी. बुक्लेट

इंतखाब के बाद, हेल्थ, वैक्सीनेशन एण्ड ओ.पी.डी. बुक्लेट मुकम्मल चेकअप और वॅक्सीनेशन के बाद भरे जाये.

हर हाजी खुद अपनी तिब्बी जांच का कॉलम भरे. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर M.B.B.S./ सरकारी डॉक्टरसे अपना मुआयना करे और हेल्थ, वैक्सीनेशन एण्ड ओ.पी.डी. बुक्लेट के उपर फिटनेस सर्टिफिकट हासील करें।हाजी की मेडीकल हिस्ट्री हेल्थ, वैक्सीनेशन एण्ड ओ.पी.डी. बुक्लेट पर रिकार्ड होती हैं जो उनके मुआलीजे खुसूसन हंगामी सूरत-ए-हाल मे उनके कामआती।है हाजी के मफाद में है कि वे अपना हेल्थ, वैक्सीनेशन एण्ड ओ.पी.डी. बुक्लेट अपने साथ रखे। हेल्थ, वैक्सीनेशन एण्ड ओ.पी.डी.बुक्लेट जिद्दा/मदीना एयरपोर्ट में आमद के वक़्त दिखाया जा सकता है।

6.2 वॅक्सीनेशन / टीका :-

क) दिमागी बुखार / टीका (ACYW135) :-

तमाम हाजी जिनके उमर दो सालसे जादा हो, दिमागी बुखारके टीकेका सर्टिफिकट अपने साथ रखे. इम्बार्केशन पॉईंट पर पहुचनेसे पहले हाजी अपने आप को दिमागी बुखार का टीका लगवा ले. और उसका सर्टिफिकट हेल्थ एण्ड ओ.पी.डी. बुक्लेटपर हासील कर ले. यह सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का दस्तखत किया हुवा हो. फर्जी सर्टिफिकट काबिले कुबूल नही होगा. हज कमिटी ऑफ इंडिया खुद भी हज हाऊस, मुंबई मे MBBS डॉक्टर के तसदीक के बाद हर साल दिमागी बुखार का टीका लगवाने का इंतजाम कराती है. ठीक इसीतरह तमाम रियासती / युनियन टेरीट्रीज़ हज कमिटीया और ज़िले इंतजामिया भी अपने तौरसे अपने अपने रियासत / युनियन टेरीट्रीज़ मे इंतजामात करती है.

ख) पोलियो टीका लगवानाः

तमाम हाजीयोके लिए जरुरी है के वो हज से छ हफ्ते पहले पोलियो टीका लगवा ले और अपना सेहत कार्ड मुताल्लिका सेंटर से हासिल करलें सऊदी अरेबिया मे दाखले के वक्त उन्हे पोलियो की एक और खुराक दी जायेगी हज वीजा हासील करने के लिए पासपोर्ट के हमरा हाजी टीकेका रेकॉर्ड कॉन्सल जनरल ऑफ सऊदी अरेबिया को पेश करना जरुरी होता है, जिसके बगैर हज वीजा नही लगेगा।

ग) टिटनेस इंजेक्शनः

टिटनेस इंजेक्शन यह लाज़मी नही है लेकिन एहतियाती तौर पर टिटनेस इंजेक्शन लेने के लिए मशवरा दिया जाता है।

6.3 ट्रेनिंग और वाकफियत :-

तमाम हाजीयोके लिए जरुरी है के, वे तरबीयती प्रोग्राम को अटेंड करें और बतायी गयी तमाम हिदायात पर अमल करें हासिल करदा तरबीयत की तमाम तफसीलात हेल्थ एण्ड ओ. पी.डी. बुक्लेट में इंदराज कराना ज़रुरी है ।

6.4 एहतियात और First Aid :-

- मास्क का इस्तेमाल करें
- अपने सर कौर गरदन को ढांक कर रखें
- पानी काफी मिक्दार मे लें
- नए किस्म का खाना खानेकी कोशिश न करें
- मुनासिब साईज की चप्पल इस्तेमाल करें
- डिस्पोजेबल रेजर का इस्तेमाल करें
- ज्यादा खानेसे एहतियात करें
- आम अदवियात जैसे पॅरासिटेमाल अपने फर्स्ट एड बॉक्समे रखें
- बैन्डेज और क्रॅप बैन्डेड अपने पास रखें
- सूरज की रोशनी से बराए रास्त बचें

6.5 भगदड से बचने के लिए एक्दामात :-

- हुज्जाज की रुसूम और हिफाजती तदावीर मे सही और मुसलसल तरबियत
- सऊदी हुक्काम के हिदायात पर अमल करें
- मुख्तस रास्तों पर ही चलें
- खवातीन, बुढे और कमजोर किस्म के हाजी दूसरों से रमी करवा सकते हैं
- बच्चों,व्हील चेअर्स और सामान को जमरात के तरफ न ले जायें
- जमरात के रास्तेमे न बैठें

6.6 हाजी इस बात को यकीनी बनाये के वो :-

- पानी के कमी के शिकार तो नहीं
- उन्होंने सनक्रीन (Sunscreen) लगा रखी हैं
- मुनासीब जूते/चप्पल पहने हों
- एहराम मुनासीब तरीकेसे पहने हो और वो पहननेवाले या किसी और के लिए मसला न बने, खास तौर पर भीड में
- जब एहराम पहनें तब कमर पर बेल्ट बांधलें

6.7 भीड में क्या करें, क्या ना करें :-

- आप जहा कही हो, मखरज की जगह जहन मे रखें अपने आप को अतराफ और अकनाफ से वाकीफ कराये और मुतबादील मखरज को ध्यानमे रखें ।
- जाए वकू का खाका जहनशीन कर ले और बाहर जाने वाले रास्ते खुसूसन इमरजंसी मखरज का बगौर मुशाहदा करें ।
- जान लीजिएके वो जगह या मैदान, जहा आप मौजूद हो वो गीला तो नही हैं या नाहमवार तो नही हैं , अगर ऐसा है तो यह आप के लिए नुकसान देह और तकलीफ का बाइस हो सकता है.
- जिस तकरीब मे आप मौजूद हो उस माहौल से आगाह रहें क्यूकि दुशवारी के मराहिल कही भी वकूपजीर हो सकते हैं । खतरे के सूरत मे सिर्फ चंद लमहात आप की हिफाजत और हादसा के दरमियान वाजे फर्क के लिए काफी होंगे ।
- अगर आप अपने आप को मुतेहरिक भीढ़ में पाऐं तो उन के साथ हो लिजिए, ना भीढ की मुख़ालिफ सिम्त में जाऐं और ना ही एक जगा बैठने या खड़ा रहने की कोशिश करें। क्योंकि आप बा आसानी रौंदे जा सकते हैं।
- भीड के बरखिलाफ हरकत न करे बल्कि इसी सिम्त् चलें । साथही खाली जगहों से फायदा हासील करते हुए भीडसे अलाहदा होने की कोशीश करें ।
- अपने हाथोंको अपने सीने से लगाकर रखें जैसा की बॉक्सर करते हैं। यह आपको हरकत करने और खुदकी हिफाजत करने में मुआवीन साबीत होगा ।
- अगर आप गिर जाये तो फौरन उठ जायें।अगर ज़ख़्मी होने की सूरत में उठने मे दुशवारी हो तो किसी और की मदद से उठकर एकतरफ हो जायें अगर आपके बच्चे साथ हो तो उन्हे ऊपर उठा ले ।
- अगर आप गिर कर न उठ पाये तो भीड वाली सिम्त मे ही रेंगते हुए आगे बढ जाये, अगर यह मुम्किन न हो तो अपने हाथ सरको मजबूतीसे ढांक ले और बदन को मोड लें अपने पेट और पीठ को खुला न छोडें यह आपके लिए जानलेवा साबीत हो सकता हैं ।
- सबसे खतरनाक बात यह हो सकती है कि, आपको किसी मजबूत और पायदार शय की तरफ ढकेला जाये और दबाया जाये ।
- कोशिश करे कि दीवार ,बाड या नाकाबंदीसे महफूज रहें तांकि बढते हुए हुजूम से हिफाजत हो सके ।
- आप को आगे की जानीब ढकेलनेसे वहा एक खलासा पैदा होगा और यही आपको आगेकी जानीब चलने में मुआवीन होगा । तिरछी जानीब चलने की कोशीश करे और भीड से अपने को महफूज कर लें । कदम दो कदम के फासले पर दुसरा रेला आपकी जानीब होगा , इसीतरह दोबारा खला भी पैदा होगा आप अपने बाहर निकलने के रास्ते पर मरकूज रहे और मौका पाते ही भीड से बाहर आ जायें ।
- आप खामोश रहे, मुतमयीन रहे और न घबराये, न अफवाहों पर तवज्जोह दे और न खूद अफवाह फैलायें ।
- जाए हादसे पर जाने से परहेज़ करें।
- बिल्कुल चौकन्ना रहे की, मुख्तलीफ ममालिक से आये हूए आजमीन जत्थे और गुच्छे की शकल मे आते है और अपना रास्ता चीरते हुए चले जाते है । उनकी राह मे न आये और न ही उन्हे रोकने की कोशीश करे ऐसा करने से आप ही ज़ख़्मी हो सकते है. बेहतर यही होगा की उनके रास्ते मे

न जाये और उनके गुजर जानेका इंतजार करे।

- मशविरा यही है कि, छोटे-छोटे ग्रुप की शक्ल मे अफसरान, ग्रुप लीडर या पुलिस हुक्काम की निगरानी मे खेमे से बाहर निकले।
- गुस्से मे कतअन न आये और न ही दूसरों के साथ झगडा करे. जरुरत पेश आने पर अपने कदमो का इस्तमाल उस वक्त करे, जब भीड गुजर चुकी हो।
- अमल करने से पहले सोचे, यहां तक की जब आप हुक्म की तामील भी कर रहे हों।
- खूली जगह महफूज है, मखरज मे मुख्तलिफ जानिब बढने की कोशिश करे ।
- हुक्काम और मुन्तजमीन के जरिए जारी अहकामात की मुकम्मल पाबंदी करे।
- पुलीस, फायर सर्विसऔर मुन्तजमीन के साथ ताऊन करे ।
- बेहतर से बेहतर तरीके से दुसरों की मदद करने की कोशिश करे।

Annexure-I

AGENCIES TO BE APPROACHED FOR ASSISTANCE

Sr. No.	Issue	Agency to be approached
1	Depositing Money / Valuables	Moallim's office
2	Building Complaint	• Nearest branch office • Officials of the branch would do the necessary to rectify the building complaint. • Pilgrims can also visit the **Building Welfare Wing** of the Indian Haj Pilgrims' Office and lodge a complaint there. • They may inform their problems to their Khadimul-Hujjaj.
3	Lost Pilgrims	• If you are lost, try and locate Consulate's Task Force staff, they wear jackets with India /Al Hind written over it. • Alternatively you may try and locate any nearest Indian Branch Office. • In case one of your co-pilgrims is lost please inform your **Branch Office**.
4	Lost Baggage	• Approach your Branch office • It is not advisable to approach the **Misplaced Baggage Branch** directly unless your Branch Office AHO suggests you to do so.
5	Loss of cash/theft	• Approach the General welfare Desk at the Main Indian Haj Pilgrims' Office. • Interim relief is given after due scrutiny
6	Movement to Madinah	• Follow the notices pasted in building. • May approach your Moallim's Office or the **Madinah Movement Desk** in the Main Indian Haj Pilgrims' Office.
7	Movement to Mashaer	• Follow the notices pasted in your building. • May approach your **Branch Office** or Moallim's Office.
8	Changein Flight Schedule	• Airlines normally do not accept any request for change in the flight schedule • Can approach **Coordination desk** for any assistance.
9	Help Line 24X7	• 5458000 & 5496000 • If you call from a mobile phone add '02' • From India you may add '009662'
10	Departure Movement to Jeddah	• Follow the notices pasted in your building • Your may approach your Branch office for any issues. • **Contact Coordination desk** or **Branch office** in case of change in flight schedule.

11	Booking Excess Luggage	• PILGRIMS MUST BOOK THEIR EXCESS LUGGAGE IN ADVANCE BY CARGO. • AT THE AIRPORT THE AIRLINES MAY EVEN REFUSE TO CARRY EXCESS LUGGAGE EVEN IF YOU ARE READY TO PAY FOR IT.
12	Mina passes	• Moallim's office
13	Medical help/ Emergency	• Consult the doctor in your Branch Dispensary. • You may approach any Branch Dispensary/ Hospital in cases of emergency. • You may also call the doctor at your building in cases of emergency.
14	Problems in Mina	• Moallim's Office located in your camp. • You may also approach the Indian Haj Pilgrims' Office-Mina Camp Office.
15	Death of a co-pilgrim	• Moallims's Office. • You can also inform your **Branch Office.** • Shifting of the body from the Building to Mortuary and arranging the burial of the body is done by the **Moallim's Office** only. • NOC for burial is issued by the **Coordination Desk** at the Main Indian Haj Pilgrims' Office.

Annexure-II

IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS

Consulate General of India, Building Mr. Mansoor Abdur Rahman Al Howaish, Taahalia
Street, Behind National Commercials Bank Andulus District, P.O. Box No. 952, Jeddah-
21421, Tele: 012-284-00279 & Fax: 012-663-9348

NAME/DESIGNATION	ADDRESS	TELEPHON	EFAX NO.
MR. MD. NOOR RAHMAN SHEIKH **Consul General**		012-284-00279	012-663-9348
MR. Y. SABIR **Consul Haj/ Head of Chancery**		012-663-9378	012-663-9378
MR. ASIF SAEED **Vice Consul (Haj)**		012-663-9361	012-663-9361
HAJ SECTION		012-663-9351	012-663-9351
MAKKAH-AL-MUKARRAMAH			
INDIAN HAJ PILGRIMS OFFICE, CUM MEDICAL OFFICE	INDIAN HAJ PILGRIMS OFFICE, POST BOX NO.5781, NEAR EGYPT AIR OFFICE, JARWAL QISLA (PARKING), OPPOSITE QISLA (PARKING),	012-5427303 012-5604270 012-5462497	012-560-3380
IN-CHARGE INDIAN HAJ PILGRIMS OFFICE	-DO-	012-560-3570	012-560-3380
MR. MOHD. ISMAIL N. KODAGANUR, ASST. WELFARE, INDIAN MEDICAL MISSION	-DO-	012-5455193	012-5603690
Control Room		012-560-3960	012-560-3960
South Asian Mossasa		012-534-4444/ 012-534-2144	012-5322222
Police Station, Haram Sharief		012-575-0200	012-574-9602
Police Station Near Haram Sharief, Ajyad		012-534-1165	

HOSPITALS / DISPENSARIES NEAR HARA SHARIEF, MAKKAH AL-MUKARRAMAH

NAME/DESIGNATION	ADDRESS	TELEPHONE	FAX NO.
Ajyad Hospital	Ajyad	012-5730070	012-5743116
King Abdul Aziz Hospital	Zahir	012-5442400	012-5424449
Noor Hospital	Azizia Junubia	012-5665000	012-5666842
Hera Hospital	Masjid Aisha (Taneem)	012-5203535	012-5200333
King Faisal Hospital	Shisha	02-5341165	
RUBATS IN MAKKAH-AL-MUKARRAMMAH			
MR. ABI ALI SAIFUDDIN NAZIR BOHRA RUBAT	AJYAD SUD, MAKKAH-ALMUKARRAMAH	012-572-8352	012-5949214
MR. IBRAHIM MOHD AHMED, NAZIR ARCOT RUBAT	AJYAD MASAFI, MAKKAH-ALMUKARRAMAH	0544057500	
MR. HUSSAIN MOHD SHARIEF NAZIR OF RUBAT	MISFALAH MUNSHIA, MAKKAH-ALMUKARRAMAH	012-539-3414 0505625281 0551877670	012-5393413
BHOPAL RUBAT	UMMUL QURA	0505568167	

Annexure-III

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذى لم يجعل علينا فى الدين من حرج، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد الذى جاء باليسر والفرج وعلى آله وصحبه مالبى ملبٍ وحج ۔ وبعد :

तमाम तारीफे अल्लाह तआला रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने दीन मे तंगी नही रखी और सलाम हो अल्लाह के बंदे और रसूल हजरत मोहम्मद (स्व.) पर जो सहुलत और वसअत लेकर तशरीफ (अम्माबाद). लाये और उनकी आल और असहाब पर, जब तक तल्बीया पढनेवाला तल्बीया पढे और हज करे

जिस अम्र मे तंगी हुयी उसमे उस्अत भी पैदा हो गयी. यह शरीयते मुतह्हरा तो तंगी मशक्कत और लोगोंसे हलाकत को दूर करने के लिए आयी. उसने इन्सानी नुफूस को हर जरर रिसां और हर उस अम्रसे रोका, जिसने इन्सानी जान के तल्फ होने का खतरा हो. इन्सानी जान को बचाने की खातीर तो मूरदार तक भी खानेकी इजाजत दे दी. जरुरी तो मम्नुआत को भी हलाल कर देती है और बहालते मजबूरी हराम, हलाल हो जाता है.

हुज्जाज किराम की बढती हुयी तादाद के सबब मीना मे जमरात की रमी के लिए, ईद के दिन ओर अय्यामे तशरीक मे सख्त भीड एक ऐसा कजीया बन चुका है के उस शदीद रश के सबब लोक जखमी हो जाते है ओर उनकी अमवात वाके हो जाती है.

इन्सानी जानो के तहफ्फूज की खातीर, जमरात की रमी मे शरई सहूलतो से इस तफादा मुनासीब होगा, हम हुज्जाक किराम को नसीहत करते है के, वो हजरत (स्व.) की तरफसे रुखसत के पेशे नजर आधी रात तक मुजदलफा मे कयाम कर के उसके बाद जमरा उक्बा (बडे शैतान) की रमी के लिए निकले तांकि ईद की सुबह के रश के सबब धक्कमपेल और धूप की शिद्दत से बच सके, जो लोग सुबह तक मुजदलफा मे रहे, उन्हे रश से बचने की खातीर यह नसीहत करते है के, वो सीधा मीना अपने खेमो मे जाये, फीर रमी जमरात के लिए वजारते हज के तैय्यार करदा चार्ट पर अमल करे. जो अफजल और आसान तरीन औकात को पेशे नजर रखकर तैय्यार किया गया है.

अय्यामे तशरीक के बारेमे अर्ज है के, बहोतसे हुज्जाज का इस पर इसरार होता है के वो फौरन जवाल के बाद रमी कर ले, खुसूसन १२ जिहहिज्जा के दिन अक्सर लोगों की यह ख्वाहीश होती है के, वो रमीसे जल्द फारीग होकर गुरुब आफताब के पहले पहले मीना से रवाना हो. हुज्जाज की यह ख्वाहीश भी सख्त भीड, धक्कमपेल और हवादीस की वजह बनती है, जो बहोतसे नुकसानात का सबब बनती है.

शरीयते मुतह्हरा - चुंकि इन्सानी जानोंकी जरर रसानी को हरगीज कबूल नही करती और वो भी इबादात की अदायगी के दौरान, लेहाजा इस जानीब मे शरई सहूलतोंका बयान जरुरी अम्र हो जाता है और हुज्जाजकिराम की तवज्जोह मबजूल कराना भी, तांकि वो सुकून व इत्मीनान और राहत से अपने मनासिके हज अदा कर सके.

जनाब नबी करीम (स्व.) की लायी हुई शरीयत - आप की सुन्नते मुबारका और जुमला साबीका अंबीया-ए-किराम की शराये, इन्सानी जानो की हिफाजत यकीनी बनाती है और किसी भी तरह उनकी जररऔर तल्फसे तहफ्फूस फरहम करती हैं.

अल्लाह तआला का इर्शाद है (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَى التَّهلُكَةِ) तूम अपने आपको हलाकत मे न डालो" सो जो अम्र भी इन्सानी जान की हिफाजत को खतरा मे डाले, शरीयत मे वो बातील और हरगीज काबीले कुबूल नही.

नवी करीम (स्व.) ने जवाल के बाद रमी फरमायी, मगर जिसने जवाल से कब्ल रमी कर ली, आप (स्व.) ने उसे मना नही फरमाया और नही रमी के आखरी वक्त का तआय्यून फरमाया. इस वजह से रमी के वक्त मे अइम्मा मुज्तहदीन की मुतअद्दद आरा हैं.

इमाम मोहम्मद बाकर का मजहब है के, हर रोज रमी का वक्त फजर से शुरु हो जाता है.

अता और तावूस के नजदीक भी जवाल से कब्ल रमी जायज है. शाफईया मे से राफई और अस्नवी ने भी इसको इख्तियार किया है, और हनाबला मे से इब्ने जौजी और इब्ने अकील अल्हंबली का भी यही मजहब है.

इमाम अबु हनीफा के नजदीक रमी का वक्त जवाल के बाद से तुलू सुबह सादीक तक है और एक कौल मे जवाल कब्ल भी जायज है.

इमाम शाफई के नजदीक रमी का वक्त जवाल से शुरु होकर १३ जिलहिज्जा के गुरुब आफताब तक है.

चुंकि हुज्जाज किराम की जाने हमारी गरदनोंपर अमानत है, ता उनकी सहूलत के खातीर जिम्मेदारान हजरात का वाजीब है के, हुज्जाज किराम और उनके दिनी मुर्शिदीन और ग्रुप्स लिडरान, उन्हे उन तमाम शरई सहूलतो से आगई फरमाये. हुज्जाजे किराम को फतवा देने मे तंगी और पाबंद न करे. क्योकि यह ऐसा मोकफ है के इस मे तंगी मनासीब नही है. यहा इन्सानी जानोंके तल्फ का खदशा है. ऐसे हालात मे दीगर मजाहिब के व अक्काल जिसमे उम्मत के लिए उसअत है, उन्हे इख्तियार करना दुरुस्त है. क्यूंकि अगर एक मजहब राजेह तो दिगर हालत मे वो मरजूह भी हो सकता है. इर्शाद नबवी है -(بشرواولاتنفروا ويسروا ولاتعسروا) " तूम लोगोंको खुशखबरी दो, उन्हे नफरत न दिलाओ, आसानी पैदा करो, तंगीया नही".

हजरत (स्व.) को जब भी किसी दो अम्र मे इख्तियार दिया गया तो आप उनमे से आसान को इख्तियार फरमाते.

इन बीना पर जवाल के फौरन बाद रमी जरुरी नही. खुसुसन जब के शदीद रश हो, बल्की इस सूरत मे रमी को असर, मगरीब, ईशा और आधी रात तक हत्ताकि फजर तक मोअख्खर करना भी जायज है. बल्कि इमाम शाफई के मजहब के रोशनी मे १३वी जिलहिज्जा के गुरुब आफताब तक भी रमी को मोअख्खर करना दुरुस्त है.

नबी करीम (स्व.) की सुन्नते मुबारका. मीना मे १३ जिलहिज्जा तक कयाम है. जो हुज्जाज किराम १३ जिलहिज्जा को मीना से जाना चाहे तो वो जवाल से कब्ल रमी के जवास के कौल पर अमल करते हुए रमी जमरात से फारीग होकर मीना से निकले, और अगर जवाल के बाद ही रमी करना जरुरी करना समझे तो इमाम अबू हनीफा के मजहब मे बहोत उस्अत है. उनके यहा मीना से निकलने का वक्त फजर तक लंबा होता है. मिसाल के तौर पर अगर किसी ने असर के बाद रमी जमरात की या ईशा के बाद रमी कर ली और फीर मीना से निकल गया, तो उसकी रमी दुरुस्त होगी और उस पर १३ जिलहिज्जा की रात गुजारना और उसकी रमी करनी जरुरी नही.

इस अम्र पर भी तंबीह जरुरी है के जमरात की रमी पर न जा सकनेवाले जैसे के बीमार हजरात या बुढे, उनके लिए दिगर को वकील बनाना दुरुस्त है.

रहा तवाफे इफाजा, तो इस बारेमें हम हुज्जाज किराम को नसीहत करते है के, अगर मताफ मे रश जादा हो तो अपने तवाफ को रश कम होने तक मुअख्ख्र कर दे. तांकि वो तवाफ को राहत और इत्मिनानसे अदा कर सके, क्यूंकि तवाफे इफाजा के वक्त मे बहोत तौसी है, उसकी कोई हद नही और नही वह अय्यामे तशरीक मे महसूर है.

हमारे इस बयान शाफी के बाद तमाम जिम्मेदारान और दिनी मुर्शिदीन की यह जिम्मेदारी है के, हुज्जाज किराम को इस बाबत आगाह फरमाये और वजारते हज के चार्ट की पाबंदी करे, जो के वजारते हज ने हुज्जाज किराम की राहत और मनासिके हज की अदायगी मे सहुलत की खातीर ही तैयार किया है.

लुग़त

Annexure-IV

मक्का मुकर्रमा

अल–इस्तूलाम	हजरे अस्वद को बोसा देना या दूर से हाथ का इशारा करना।
बाबुस्सलाम	यह हरम शरीफ का एक खास दरवाज़ा है जो सफा और मरवा के बैरुनी दवार के दरमियान वाक़े है।
बेरे ज़म ज़म	बौतुल्लाह के करीब पानी का एक मशहूर चश्मा है जिस को अल्लाह ताला ने हज़रत हाजिरा और हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) के लिए जारी फरमाया था। इन्शा अल्लाह क़्यामत तक जारी रहेगा।
हजरे अस्वद	यह जन्नत का पत्थर है, जो सफोद था मगर बनी आदम के गूनाहों की वजह से काला होगया, यल बैतुल्लाह के जोनूब मशरिक़ी गोशे में बाबे काबा के करीब चार फिट की ऊँचाई पर नसब है।
हलक़	सर के बाल मुंडवाने को हलक़ कहते हैं।
हतीम	बैतुल्लाह के शिमाली जानिब बैतुल्लाह से मुत्तासिल क़दे आदम बराबर दीवार से जमीन का कुछ हिस्सा जो निस्फ गोलाई की शकल में है। ज़मीन का यह हिस्सा माज़ी में खाने काबा में शामिल था।
हिल	होदूदे हरम और मीकात के दरमियान की ज़मीन को हिल कहते हैं। इस जगह वह चीजें हलाल हैं जो हुदूदे हरम में मना हैं।
इज़्तेबा	तवाफे काबा के पहले तीन चक्करों में इहराम की चादर के एक कोने का दाएं जानिब से निकाल कर बाएं बाजू के ऊपर रखना इज़्तेबा कहलाता है।
जन्नतुल माला	यह मक्का मुकर्रमा का एक मश्हूर क़बरस्तान है।
मक़ामे इब्राहीम	यह एक पत्थर है जिस पर चढ़ कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर किया था। इस पत्थर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात हैं यह बाबे काबा के सामने एक जाली दार शीशे में महफूज़ है जिस के अतराफ पीतल के जाली नसब है जिस में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान नज़र आते हैं।
मरवा	सफा के मुकाबिल कूछ फासिले पर एक चढ़ाई है जो मरवा कहलाती है और सई का आखरी चक्कर यहीं खतम होता है।
मस्जिदे हराम	मताफ के अतराफ इस से मूत्तसिल चौतरफा मस्जिद बनी है जो मस्जिदे हराम कहलाती है।
मताफ	खाने काबा का खुला हूआ हिस्सा जहाँ से तवाफ शुरु किया जाता है।
मीज़ाबे रहमत	यह खाने काबा का परनाला है जिस से छत का पानी गिरता है।
मुलतज़िम	हजरे अस्वद और बैतुल्लाह के दरमियान खाने काबा का वह हिस्सा जिस से लिपट कर खूब दुआएं मांगी जाती हैं।
नफिल तवाफ	मक्का मुकर्रमा में ढ़हरने के दौरान किसी भी वक्त किया जाता है। जिस में सई नही किया जाता।
कसर	सर के बाल कतरवाना कसर कहलाता है।
रमल	तवाफ के पहले तीन चक्करों में ज़रा अकड कर शाने हीलाते हुए और नज़दीक नज़दीक कदम रख्ते हुए तेज़ी से चलना।

रमल और इज़्तेबा	सिर्फ मरदों कं लिए है और ऐसे तवाफ में यह सुन्नत है जिस के बाद सफा और मरवा की सई करे।
सई	तवाफ के बाद सफा और मरवा के दरमियान सात चक्कर लगाना।
सफा	बैतुल्लाह के करीब मस्जिदे हराम से मुत्तसिल जनूबि गोशे में एक छोटी सी पहाडी है जिस से सई शुरु की जाती है।
तवाफ	खाने काबा का सात चक्कर लगाने को तवाफ कहते हैं।
तवाफे जियारत	यह हज का एक अहम रुक्न है, जो हर किस्म के हाजी पर वाजिब है, जिस को 12 ज़िज्हिज्जा तक कर ना लाज़मी है इस के बाद सई वाजिब है, हज्जे इफ्राद, हज्जे किरान, हज्जे तमत्तो करने वालों पर।
तवाफे विदा	मीकात से बाहर रहने वालों पर वाजिब है कि जब मक्का मुअज्जमा से रुख्सत होने लगे तो रुख्सती तवाफ करे। जिसे तवाफे विदा कहते हैं।
उमरा	हिल या मीकात से उमरा का एहराम बाँध कर काबे का तवाफ करना, सफा मरवा के दरमियान सई करना और हलक या कसर करवाना।

मदीना मुनव्वरह

जन्नतुल बक़ी	यह मदीना मुनव्वरह का पुराना क़बरस्तान है।
मस्जिदे अबु बकर	मस्जिदे ग़मामा का जनूब में वाके है। हज़रत अबू बकर रज़ि. कुछ नमाज़े यहाँ अदा कीं। आप के खिलाफत के जमाने में या इस से पहले।
मस्जिदे अहजाब	सश्या पहाड़ के मगरिब में वाके है। कई मर्तबा नबी सं. ने जंग के मौके पर यहाँ तीन दिनों तक दुआएं की हैं और मुसलमानों को इसी तरह बदला दिया गया था।
मस्जिदे जुमा	चौदा दिन रुकने के बाद आप स़ं क़ोबा को छोडा मदीना के लिए रवाना हो गए। जब आप स़ं बनू सलीम के अलाके में पहुँपचे तो जूमा का वक्त था आप स़ं ने जूमा का खुत्बा दिया और जूमा की इमामत की।
मस्जिदे मूसल्ला	यह मस्जिद मदीना मूजव्वरह में शरई मनाख़ के जोनूब मग़रिब में है। आप स़ं ने यहाँ दो इदैन की नमाज़ पढ़ी। इस को मस्जिदे ग़मामा भी कहा जाता है। यहाँ पर ज़ियादा इम्कान सलाते इस्तिस्क़ा का है जो यहाँ भी पढ़ी गई थी।
मस्जिदे क़िब्लतैन	यह शिमाल मगरिब की वादी में पहाड़ की चोटी पर अतीक़ वादी के करीब मदीना मुनव्वरह में है। इस के दो मेहराब है। एक का रुख बैतुल मुकद्दस की तरफ है और दुसरे का खाने काबा की तरफ है। कुछ सहाबा किराम यहा पर नमाज़ अदा कर रहे थे जब जब किब्ला बदलने की वही आरही थी। तब इन लोगों ने अपना रुख काबा की तरफ किया। इस वजह से इस का नाम मस्जिदे किब्लतैन है।
मस्जिदे ओबै	यह मस्जिद जन्नतुल बकी के पास है। यह उबै बिन काब का घर है जो नबी स़ं के करीबी साथी थे। आप ने इस घर को नमाज पढ़ ने की गरज़ से थे कि अगर वक्त इजाजत दे तो वहाँ दो रकात नफिल नमाज़ पढ़ कर अल्लाह से दुआ करें।
मस्जिदे आबै	यह मस्जिद जन्नतुल बकी के पास है। यह उबै बिन काब का घर है जो नबी स़ं के करीबी साथी थे। आप ने इस घर को नमाज पढ़ ने की गरज़ से थे कि अगर वक्त इजाजत दे तो वहाँ दो रकात नफिल नमाज़ पढ़ कर अल्लाह से दुआ करें।
मस्जिदे उमर	यह ग़मामा के करीब है। मस्जिदे कुबा के रास्ते में बाएं जानिब है।
उसतुआने अली या हरीस	यहाँ पर हजरत अली रज़ि. ने नमाज अदा की है और एक गिरोह के तौर पर काम किए हैं
उसतुआने सरीरी	आप स. इस जगह को बैढने और एतकाफ के लिए इस्तेमाल करते थे।
उसतुआने वफ़ूद	यहाँ पर आप स. वफ़ूद से मुलाकात करते और लोगों को सरया के बारे में बताते थे।
उसतुआने आइसा	आप सं. ने इस सतुन के बारे मे फरमाया कि अगर मैं इस सतून के बरकत को ज़ाहिर करदूँ तो लाग इस को अपनी किस्मत आज़माने के लिए पकड लें गे और यहाँ नमाज़ पढ़ना शुरु कर देंगं।
उसतुआने हनाना	इस के माना सोतून के आते हैं। आप सं. इस के करीब खडे होते और खुत्बा देते।
जुल हुलैफा	मस्जिदे नब्वी से मक्का आते हुए 10 मील की दुरी पर एक बडी मस्जिद है जहाँ मक्का अपने वालों के लिए उमरा का एहराम बांधना लाज़मी है आप सं. ने यहाँ से इहराम बांधा।

जनरल

कुरबानी	हाजियों की जानिब से जानवर को ज़बह करना।
अरफात	मिना से करीब 23 किलो मीटर पर एक वसी और बडा मैदान हैं जहाँ मस्जिदे नमरा से हज का खुतबा दिया जाता है और 9 जिल लिज्जा को हुज्जाजे किराम हज का अज़ीम फरीज़ा वकूफे अरफा के यहाँ तकमील करती हैं।
अय्यामे नहर	10 ज़िलहिज्जा से 12 ज़िलहिज्जा के दिन को अय्यामे नहर कहा जाता है। इस का मतलब इस दिन लोग कुर्बानी करते हैं।
बदना	यह लफ्ज़ जहाँ भी इस्तेमाल हो तो इस का मतलब है पूरी गाय या ऊंट। जो किस्म के जुर्म सरज़द होने पर पूरे ऊंट या पूरी गाय की कुर्बानी करनी पडती है। इस मे से पहला अगर तवाफे ज़ियारत करते वक्त पैदाईशी खून आलूदगी के साथ जारी हो जाए । दूसरा जिन्सी तअल्लूकात का क़ायम होना इन में का एक वकूफे अरफा के बाद लेकिन हलक से पहले।
दम	इहराम की हालत में मम्नूअ काम करने से एक कुर्बानी अदा करना लाज़िम आता है जिस को दम कलते हैं।
दम	इहराम की हालत में मम्नू काम करने से एक कुर्बानी अदा करना लाज़िम आता है जिस को दम कलते हैं।
हज	मख़्सूस अय्याम में इहराम बांध कर बैतुल्लाह का तवाफ ,सफा व मरवा की सई, मुज़दलिफा और मिना में मखसूस अफ्आल अनजाम देने को हज कहते हैं।
इज़्तेबा	एहराम की चादर को दाहनी बगल के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे पर डालना। सिर्फ तवाफ में।
इफ्राद	सिर्फ हज का एहराम बांधना और सिर्फ हज के अफ्आल करना।
एहराम	एहराम के माने हराम करना, हाजी जिस वक्त हज या उमरा या दोनों की निय्यत करके तलबिया पढ़ता है तो उस पर चंद हलाल चीजें भी एहराम की वजह से हराम हो जाती हैं। इस लिए इस को एहराम कहते हैं।
जबले नूर	यल मक्का मुकर्रमा से मिना की जानिब तीन मील के फासिले पर है। इसी पहाड़ पर ग़ारे हिरा है जहाँ आप सं. पर वही नाज़िल हुई थी।
जबले तूर	मक्का मुकर्रमा से कुछ दूरी पर मदीना के रासते में एक पहाड़ है इस को जबले तूर कहा जाता है। यह मशहूर और तारीखी जगह है। क्युँकि आप सं. ने हजरत अबु बकर रज़ि.के साथ जो मुसलमानों के पहले खलीफा भी हैं मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत की तो आप के साथ गार में छुपे रहे।
जबले रहमत	अरफात में यह एक पहाड़ है जिस के दामन में हुजूर सं. ने अपने पहले और आखरी हज के मौके पर खूतबा दिया था। जिस को खुतबाए हज्जतुल विदा कहते हैं।
जमरात	मिना के आखिरी हिस्से में तिन सोतून पत्थरो से बने हुए हैं जिन पर 10,11,12 ज़िल्हिज्जा को सात सात कंकरयां मारी जाती हैं।
जोहफा	मिर्स और शाम और दियारे मग़्रिब और तबूक से आने वालों के लिये मीकात है। अब यह मुकाम वीरान होचुका है इस लिए उलामाए किराम ने राबिग़ से एहराम बांधने का हुकम दिया है।
मस्जिदे नमरा	अरफात के मैदान के किनारे यह एक बहुत बडी मस्जिद है जिस में 9 जिल्हिज्जा को जुहर और असर की नमाज़ एक साथ पढ़ी जाती हैं।

मस्जिदे कुबा	यह इस्लाम की सब से पहली मस्जिद है।
मस्जिदे जुबाबा	यह मस्जिद ओहद के रास्ते में है। आप सं. ने यहाँ पर अपना खेमा लगाया और नमाज़ भी पढ़ी।
मीक़ात	मीकात मक्का का वह हुदूद है जिस को नबी सं. ने मुतअय्यन किया उन लागों के लिए जो दूसरे मुलकों से हज या उमरा करने के लिए आते हैं। पाँच मुतअय्यन मीकात हैं। ज़िल्होलैफा, ज़ाते किरान, यलमलम, करनुल मनाज़िल और जोहफा।
महरम	शरई एतबार से औरत के साथ हज पर जाने वाला आदमी।
मिना	मक्का मुकर्रमा से 6 किलो मीटर दूरी पर है जहाँ हज के दिनो में हाजी क्याम करते हैं।
मुज़दलिफा	मिना और अरफात के दरमियान है। यहाँ हाजियों को अरफात से वापसी के वक्त रात भर खुले आसमान के नीचे क्याम करना ज़रुरी है और मगरिब और इशा की नमाज़ एक साथ पढ़ना। हाजी 10 ज़िलहिज्जा को मिना जाने से पहले यहाँ पूरी रात ठहरते हैं।
करनुल मनाजिल	कोयत और उस जानिब से आने वालों के लिए मीकात है जो अल सील नामी मशहूर मुकाम से करीब तर है।
कसर	बाल कटवाना।
क़िरान	हज और उमरा एक साथ करने की निय्यत से एहराम पहन्ना, और उस के बाद हज करना किरान कहलाता है।
रमी	मिना में जमरात को कंकरी मारने को रमी कहते हैं।
तलबिया	लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक , इन्नल हमदा वन्नेमता लका, वल मुल्का ला शरीका लक।
तमत्तो	हज के दिनों में उमरा करना फिर अय्यामे हज में हज का एहराम बांध कर हज करना इस को तमत्तों कहते हैं।
तनईम	मस्जिदे हराम से चंद किलोमीटर के फासले पर है जहाँ से मक्का मुकर्रमा में दौराने क्याम नफिल उमरा के लिए एहराम बांधते हैं यहाँ एक खूबसूरत मस्जिद है इस को मस्जिदे आईशा कहते हैं। इस लिए कि हजरत आईशा ने यहीं से उमरे का एहराम बांधा था।इस लिए इस को मस्जिदे उमरा भी कहते हैं।
वादिए महस्सर	मुज्दलफा से करीब एक वादी है जगह है जहाँ अल्लाह तआला ने अबरहा और उस के लश्कर मय हाथियों समेत तबाह कर दिया था। हाजियों को इस वादी से जल्द अज़ जल्द गुज़रने की ज़रुरत है। इस वाकिये का ज़िक्र कुरआन शरीफ में आया है।
वकुफ	वकुफ के माना ठहरने के हैं। दौराने हज हुज्जाजे किराम 9 जिल्हिज्जा को अरफात में और रात में मुज़दलफा में ठहरते हैं।
यलमलम	मक्का मुकर्रमा से दुर एक पहाड़ी का नाम है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान और यमन और मशरिक़ी मुल्कों से हज पर जाने वालों के लिए मीकात।
ज़ाते क़र्न	क़र्न एक पहाड़ है जो मक्का मुकर्रमा से 20 मील की दुरी पर है। यह इसी नाम से जाना जाता है। यह इराक़ियों का मीक़ात है।

Annexure-V

अरकाने हज एक नज़र में

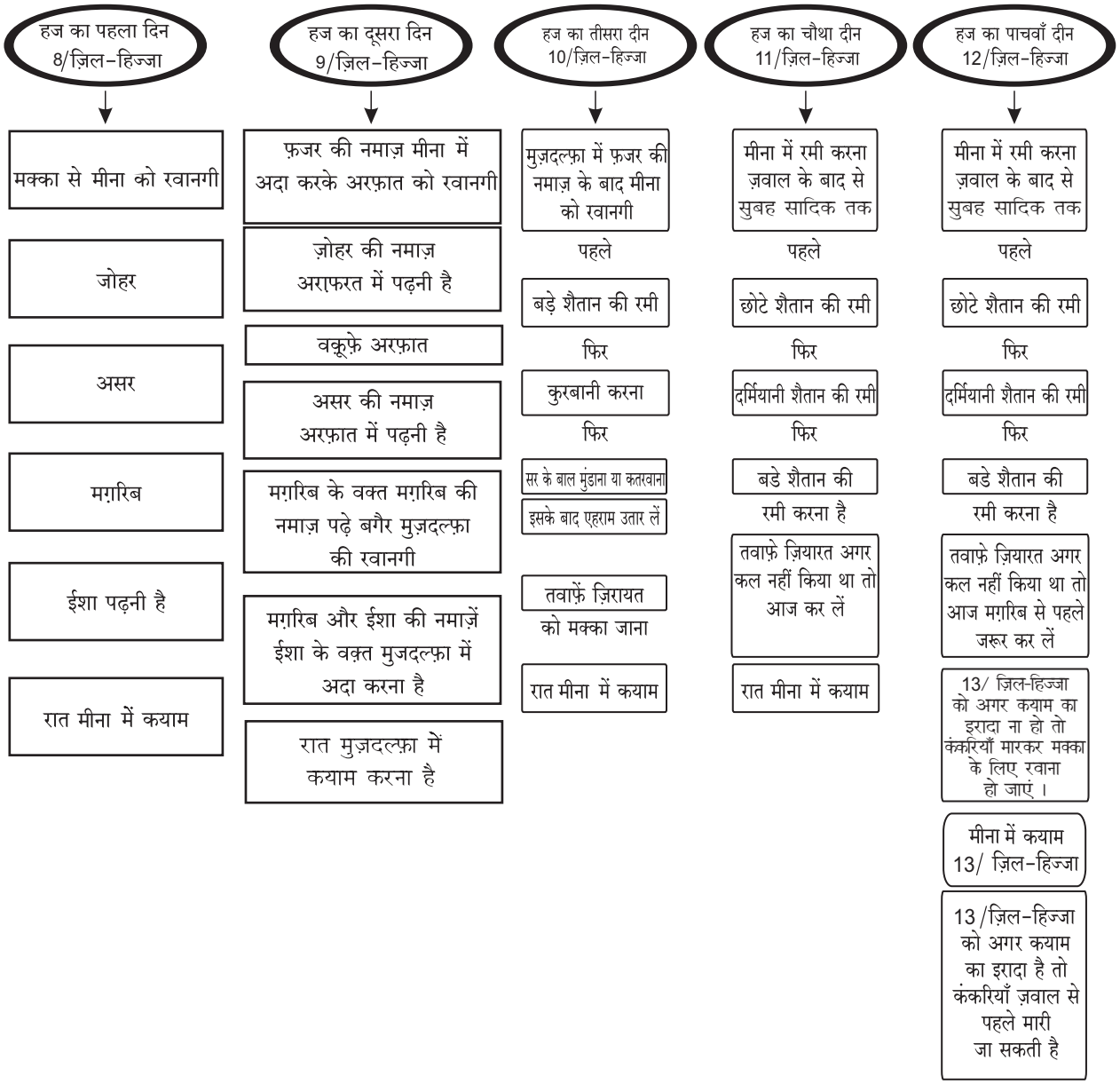

नोट : इसके अलावा हज के बक़िया दिनों में रोज़ाना की तरह नमाज़े अदा करें । तवाफ़े ज़ियारत का वक़्त 10 ज़िल-हिज्जा की फ़जर से 12 ज़िल-हिज्जा की गुरूबे अफ़ताब यानी मग़रिब तक है। तवाफ़े ज़ियारत से रात के किसी भी हिस्से में फ़ारिग़ हों तो बकिया रात क़याम के लिए मीना चले जाएँ।

Annexure-VI

LIST OF THE EXECUTIVE OFFICER, STATE / UT HAJ COMMITTEES

Sr.No.	Name of the State/UT	ADDRESS	Tel No. / Fax No./email
1.	ANDAMAN & NICOBAR ISLAND	The Statistical Officer & Executive Officer, A & N State Haj Committee Island, Dte. of Social Welfare Building, 2 nd Floor (R. No.309 & 310) Goalghar Junction, (P. B. No.148 H.P.O), Port Blair - 744 101.	Tel : 03192 - 233051 Fax : 03192 - 230781 anhaj.committee@gmail.com
2.	ANDHRA PRADESH	The Executive Officer, Andhra Pradesh State Haj Committee, 3rd Floor, Door No. 39-3-2, Mosque Street, Labbipet, Behind Anjaneya Jewellers, M.G.Road, Vijayawada - 520 010 Andhra Pradesh.	Tel / Fax : 0866 - 2471786 Toll Free No. : 18004257873 apstatehajcommittee@yahoo.co.in aphajcommittee@gmail.com
3	ASSAM	Executive Officer & Secretary, Joint State Haj Committee, Assam, Meghalaya, Nagaland etc. Near Dispur Treasury Office, Assam Secretariat Complex, Dispur, Dist. Kamrup (Metropolitan), Guwahati - 781 006, Assam.	Telefax : 0361 - 2237296 shcassam@yahoo.in
4	BIHAR	The Executive Officer, Bihar State Haj Committee, Haj Bhavan, 34, Harding Road (Ali Imam Path), Patna - 800 001, Bihar.	Tel : 0612 - 2203315 / 2217072 Telefax : 0612 - 2201665 biharstatehajcommittee@gmail.com
5	CHANDIGARH	The Sub-Divisional Magistrate - Cum Co-ordinator, State/UT Haj Committee U.T. Chandigarh, Room No. 23, 1st Floor, Estate Office Building, Sector-17, Chandigarh - 160 001.	Tel : 0172 - 2700053 Fax : 0172 - 2704548
6	CHHATTISGARH	The Executive Officer, Chhattisgarh State Haj Committee, Near A.K. Memorial High School, Mukharjee Bada, Baeran Bazar,Chhattisgargh - 492 001.	Telefax : 0771-4266646 Fax : 0771-4049289 hajcom.cg@gov.in cghajcommittee@gmail.com
7	DADRA AND NAGAR HAVELI	The Member Secretary / Resident Deputy Collector, Dadra & Nagar Haveli State Haj Committee, Collector Office, Silvasa 396 230, Dadra and Nagar Haveli.	Tel : 0260 - 2642787 / 2642106 Fax : 0260 - 2642340
8	DAMAN & DIU	The Deputy Collector and Executive Officer, Daman & Diu State Haj Committee, Administration of Daman & Diu, Office of the Collector, Daman - 396 220.	Tel : 0260 - 2230922 / 2230698 Fax : 0260 - 2230049
9	DELHI	The Executive Officer, Delhi State Haj Committee, Haj Manzil, Turkman Gate, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002.	Tel : 011 - 23230507 Fax : 011 - 23234041 delhistatehajcommittee@gmail.com
10	GOA	The Executive Officer, Goa State Haj Committee & Under Secretary(Home), Government of Goa, Aman Complex, Opp. Santos Engineering Works, Aquem, Maegaon - 403 601, Goa.	Tele. Fax : 0832 - 2772444 / 2772844
11	GUJARAT	The Executive Officer, Gujarat State Haj Committee, Block No.08, 8th Floor, Sachivalaya, Gandhinagar - 382 010, Gujarat.	Tel : 079 - 23250987 / 23277182 23254265 / 22180410 hajcommitteegujarat@yahoo.com
12	HARYANA	The Executive Officer, Harayana State Haj Committee, & Secretary to Government of Haryana, Home-II Department, Room No. 50 -B, 6th Floor, Harayana Civil Secretariat, Chandigarh - 160 001, Haryana.	Tel : 0172 - 2740229 Fax : 0172 - 2740526 haryanahaj@gmail.com haryana.state@yahoo.in
13	HIMACHAL PRADESH	The Deputy Secretary (Home) & Executive Officer, Himachal Pradesh State Haj Committee, Home "C" Department, 4th Floor, Room No. 405, Armsadale Building, Secretariat, Shimla - 171 002, Himachal Pradesh.	Tel : 0177 - 2626450 / 2621907 Fax : 0177 - 2621154
14	JAMMU & KASHMIR	The Executive Officer, Jammu & Kashmir Haj Committee, J&K Baitul Hujjaj (Haj House), Bemina, Srinagar- 190 017, Jammu & Kashmir.	Tel : 0194 - 2495365 Fax : 0194 - 2495367 jkstatehaj@gmail.com
15	JHARKHAND	The Executive Officer, Jharkhand State Haj Committee, Audrey House, Kankee Road, Ranchi - 834 004, Jharkhand.	Tel : 0651 - 2283100 Fax : 0651 - 2400890 jharkhandstatehajcommittee@yahoo.co.in

16	KARNATAKA	The Executive Officer, Haj Bhavan, Sy. No.57/17, Thirumanehalli, Next to KNS College, R.K. Hegde Nagar Kogilu Road, Bengaluru - 560 064, Karnataka.	Tel : 080 - 28567673 Fax : 080 - 28567681 info@karhaj.in
17	KERALA	The District Collector & Executive Officer, Kerala State Haj Committee, Haj House, Calicut Airport, P.O. Mallapuram - 673 647, Kerala.	Tel : 0483 - 2710717 / 2717571 Fax: 0483 - 2717572 keralahajcommittee@gmail.com
18	LAKSHADWEEP	The Executive Officer, Union Territory Haj Committee of Lakshdweep, Indira Gandhi Road, Kavaratti Island, Kavaratti 682 555, Lakshadweep	Tel : 04896 - 262321 Fax : 04896 - 262368 lacajjjj@gmail.com
19	MADHYA PRADESH	The Executive Officer, Madhya Pradesh State Haj Committee, Gram Singerholi, Behind Gulmohar Garden, Airport Road, Bhopal - 462 036, Madhya Pradesh	Tel : 0755 - 2530139 Fax : 0755 - 2538039 mpshcbhopal@yahoo.in
20	MAHARASHTRA	The Executive Officer, Maharashtra State Haj Committee, Saboo Siddique Musafirkhana, Ground Floor, Room No.6 & 7, Lokmanya Tilak Marg, Mumbai - 400 001, Maharashtra	Tel : 022 - 22626786 Fax : 022 - 22678679 mshc@indiatimes. com maharashtrashc@gmail.com
21	MANIPUR	The Executive Officer, Manipur State Haj Committee, Old Guwahati High Court Complex, North A.O.C., Imphal - 795 001, Manipur.	Telefax: 0385-2454586/2461063 manipurstatehajcommittee.@gmailcom
22	ODISHA	The Executive Officer, Odisha State Haj Committee, Old Secretariat, Cuttack - 753001, Odisha.	Fax : 0671 - 2306038 / 2301185
23	PUDUCHERRY	The Executive Officer, Puducherry State Haj Committee, No. 1, Yanam Venkatachalapillai Street, Puducherry - 605 001.	Tel : 0413 - 2233254 / 2343268 Fax : 0413 - 2222344 pondicherrystate@yahoo.in
24	PUNJAB	The Principal Secretary (Home), Govt. of Punjab & Executive Officer, Punjab State Haj Committee, Room no.9, 7th Floor, Sector 21, Punjab Civil Secretariat, Chandigarh - 160 001, Punjab.	Tel : 0172 -2748519 pbshc@yahoo.co.in
25	RAJASTHAN	Deputy Secretary (Home) Cum - Executive Officer, Rajasthan State Haj Committee, Home (GR-III) Department (Government Secretariat), Jaipur - 302 005, Rajasthan.	Tel : 0141 - 2227016 Telefax : 0141 - 2227016 rajasthanstatehajcommittee@gmail.com
26	TAMIL NADU	The Executive Officer, Tamil Nadu State Haj Committee, 3rd Floor, Rosy Tower, No. 13 (Old No.7), Mahathma Gandhi Road, (Nungambakkam High Road), Chennai-600 034, Tamil Nadu.	Tel : 044 - 28252519 Fax : 044-28276980 tnshc.chennai@gmail.com
27	TRIPURA	The Executive Officer, Tripura State Haj Committee, Minorities Welfare Department, Haj Bhavan, Melarmath, Agartala - 799 001, Tripura.	Tel 0381-2325841 Fax : 0381 - 2327583
28	TELANGANA	The Executive Officer, Telangana State Haj Committee, A.P. Haj House, 2nd Flr, Razzak Manzil, Public Garden Road, Nampally, Hyderabad-500 001, Telangana	Tel : 040-23298793 Fax : 040-23236310 telanganastatehajcommittee@gmail.com
29	UTTARPRADESH	The Executive Officer, Uttar Pradesh State Haj Committee,10 -A, Vidhan Bhavan Marg, Lucknow - 226 001. Uttar Pradesh	Tel : 0522 - 2620980 Tel/ Fax : 0522 - 2622458 shcuplko@rediffmail.com
30	UTTARAKHAND	The Executive Officer, Uttarakhand State Haj Committee, Haj House, Piran Kaliyar, Roorkee, Haridwar - 247 667, Uttarakhand.	Tel/ Fax : 01332 - 297520 ukshcommittee@yahoo.com
31	WEST BENGAL	The Executive Officer, West Bengal Haj Committee, Madinat-ul-Hujjaj, Action Area-II/26A, Beside Alia University, Rajarhat, New Town, Kolkata - 700 160, West Bengal.	Tel : 033 - 22903617 Fax : 033 -22870274 / 22903617 wbshc2011@gmail.com

Annexure-VII

HAJ COMMITTEE OF INDIA

(Statutory body constituted under the Act of Parliament No.35 of 2002)

Ministry of Minority Affairs, Government of India.

Haj House, 7-A, M.R.A. Marg, (Palton Raod), Mumbai-400 001.

Ref: HC-11/165/2020/4669 Date **:20.01.2020**

CIRCULAR

Haj-2020
7

Sub.: "Training of Trainers'"Programme for Haj 1441 (H)–2020 (C.E.)

Comprehensive and effective training of **logistics** as well as **rituals** to enable the Haj Pilgrims to perform Haj pilgrimage with minimum difficulties is the most essential. The system of Training of Haj Pilgrims consists of **two stages**. At First, the Trainers are trained by Haj Committee of India (HCoI) and then, the Trainers organize Training Camps for Haj pilgrims, under direct supervision of State/UT Haj Committees (SHCs). The norms, role and responsibility of Trainers, SHCs/UTSHCs and HCoI are detailed below.

2. Norms for selection of Trainers:

(i) The desiring applicants should fill-up the application online, which is available on website www.hajcommittee.gov.in. The important details are as under:-

Particulars	Date and time
Opening Date & Time for online Application.	20th January, 2020 at 1700 hours
Last Date & Time for online Application.	30th January, 2020 at 23 59 hours
Last date for selection of Trainers by concerned SHC.	07.02.2020

The applicants desiring to fill online application are advised in their own interest to apply without waiting for the last date as the link will be disabled on the stipulated last date fixed for submitting online application. ***No offline application or copy of downloaded online application will be accepted by this office***.

(ii) The Trainers are also advised to upload the requisite documents at the time of filling up online application for Trainers for Haj-2020.

(iii) Trainers shall be selected by SHCs/UTSHCs in the ratio of 1 trainer for every 250 pilgrims. The ceiling of 250 pilgrims may be relaxed to ensure that every district in a State is represented. Similarly, one Trainer shall be selected for State / U.T. having Quota of 250 or less pilgrims.

(iv) Not more than 50% of the Trainers should be repeated especially, those getting selected and repeated year after year but found to have not upto the mark in imparting necessary training to the pilgrims. Such Repeaters should be weeded out.

(v) The following are essential requirement for selection of Trainers:

a) No criminal case is pending against the Trainer in any Courts of law;
b) Must have performed Haj preferably during last 5 years;
c) Must be fully conversant with English/Urdu/Hindi/ local language;
d) Must be fluent in the local/ regional language / dialects;
e) Must have thorough knowledge of logistics and rituals of Haj & Umrah**;**
f) Must be mentally and physically fit to impart training;
g) Must be capable of addressing / giving lectures to big gathering;
h) Must be computer literate to receive / transmit latest information / messages through email / whatsapp.

(vi) The Executive Officer (EO) of the SHCs may conduct interviews for selection of Trainers. The selection should be made on the basis of merit, past performances and recent experience of Haj & Umrah. Preference should be given to those having experience as **Assistant Haj Officer** / **Haj Assistant** / **Medical Officer**/ **Khadimul Hujjaj** as they possess practical knowledge of logistics and rituals of Haj. Generally, the Trainers should **not be more than 58 years of age**. Sufficient number of Female Trainers should be selected so as to impart training to the women pilgrims. SHCs have to forward the list of selected Trainers to HCoI with details as per format (available as **Annexure-I)**

3. Role of Trainers:

(i) Each Trainer will have to obtain the list of pilgrims to be trained by him / her from SHC.

(ii) Trainers shall impart training to all the pilgrims assigned to them by their SHC at respective State Capitals / Districts / Talukas as per directions of SHC. They should keep details of each training camp (format available as **Annexure-II**)

(iii) SHCs should also assign training of certain number of wait-listed pilgrims, who may get selected at the last stage from waiting list & Government Quota pilgrims and also at the Embarkation point/ Haj camps.

(iv) In addition to imparting training, the Trainers will act as a link between SHC and concerned pilgrims to communicate latest developments, whatsoever, taken place with regard to Haj Journey.

(v) All Trainers shall be directly responsible to the Executive Officer of SHC concerned and shall obtain necessary guidance and assistance from him from time to time.

(vi) The Trainers shall submit a detailed report in the prescribed format (available as **Annexure-III)** indicating number of Training Camps held, district and venue of these camps, number of pilgrims attended the said camps and their overall observations on conduct of these camps, to their respective Executive Officer of SHC.

4. Role of SHCs:

(i) SHCs must ensure that all pilgrims attend the Training Camps on the stipulated date and time and are properly trained by the Trainers. It is expected that each Haji is given atleast **3 Training Sessions by the Trainer** before proceeding for Haj.

(ii) SHCs shall give each Trainer, the list of selected/wait-listed pilgrims assigned to him. SHCs should define the responsibility and jurisdiction of each Trainer.

(iii) SHCs must ensure that all Trainers adhere to the Training Calendar finalized for conduct of Training Programme for the pilgrims.

(iv) SHCs should give wide publicity detailing the date, time and venue of training sessions to be conducted in each district, alongwith the name and mobile numbers of Trainers. SHC shall render all possible assistance to the Trainer in organizing the Training Camps at District / Taluka levels in all matters. The SHC may take the help of local NGOs etc. in organizing such trainings, if required. All such details should be made available to HCoI.

(v) Executive Officer of SHC concerned has the overall responsibility to supervise, monitor and evaluate the entire Training Programme in their respective States/ U.Ts. He should also ensure deployment of SHC staff and conducts surprise visits in each training Camp and gather feedback from the pilgrims for evaluation of Trainer. If the performance of a particular Trainer is found unsatisfactory or below the desired mark, SHC may replace the said Trainer and allot another Trainer there.

(vi) EO of the SHC must submit a comprehensive report on conduct of Training Camps to HCoI **(**Format available in **Part-B of Annexure-III)**

(vii) Trainers details will be available on IHPMS. All the SHCs are advised to approve the list of Trainers ***after thorough verification of the credentials uploaded by the applicants.*** The access to IHPMS has been given to all SHCs in this regard.

(viii) SHCs shall intimate selection of Trainers preferably by using email, which the concerned Trainer shall preserve and show the same to the staff of HCoI upon arrival for training of Trainers programme in Mumbai.

5. Role of HCoI:

(i) **HCoI** will organize a **two (2) days Training** of Trainers programme. The comprehensive training sessions will cover all aspects of Haj including procedures, logistics, rituals, Disaster Management etc. The Trainers will be provided the training material which they can use in training camps organized for the pilgrims at District level. Certificate of participation of the Trainers shall be forwarded directly to respective SHCs.

(ii) Trainers will be provided simple and shared accommodation at Haj House, Mumbai. HCoI will reimburse travelling expenses to each Trainer as per 3-Tier A. C. Railway Fare/Bus Fare/ actual expenses for shortest train rout only and lump-sum Honorarium @Rs.500/-. No other claim shall be entertained.

(iii) T.A/ Honorarium to the eligible Trainers will be paid through RTGS in their account only. All the Selected Trainers are advice to fill-up the T.A / Honorarium Form along with copy of to & fro tickets and submit the same to HCoI at the time of training (Format available in **Annexure -IV**). No cash payment will be made at the Venue of Training.

(iv) HCoI shall contribute **@ Rs.100/- per pilgrim,** towards the expenditure on District Level Training Campsas per Quota allotted. Out of this, Rs.50/- per pilgrim will be paid to SHC upon receipt of the details of Trainers, Pilgrims/area allotted and Schedule of Training, in prescribed format (**Annexure-V: Columns 1 to 6).** The balance amount of **Rs.50/-** per pilgrim will be paid to the SHCs on receipt of detailed report on Training Programmes held by Trainers throughout the State in prescribed format (**Annexure-V: Columns 1 to 8).** SHC should reimburse the actual expenditure incurred by Trainer at the earliest after completion of training programme at District level.

6. The circular in respect of date & place of Training at Mumbai with Model Training Calendar for Training by SHC will be issued by this office shortly.

(Dr. Maqsood Ahmed Khan)
Chief Executive Officer.

Encl: As stated above.

To:-

1. The Executive Officer, all State / Union Territory Haj Committees.
2. The Chairman & all Members, Haj Committee of India for information.
3. The JS/MoMA, Director/MoMA, US/MoMA, CGI/Jeddah.
4. Dy. C.E.O.(Op./Admn./Acctts.), Haj Committee of India for information.
5. Incharge, Computer Section, HCoI for uploading on website of HCoI.
6. Incharge, Haj House, Haj Committee of India, Mumbai.
7. Incharge, Stationery, Haj Committee of India.

Annexure-VIII

HAJ COMMITTEE OF INDIA

(Statutory body constituted under the Act of Parliament No.35 of 2002)

Ministry of Minority Affairs, Government of India.

Haj House, 7-A, M.R.A. Marg, (Palton Raod), Mumbai-400 001.

Ref: HC-11/165/2020/4855 Date : 29.01.2020

CIRCULAR

Haj-2020
9

Sub.: Training of Trainers' Programme for Haj 1441 (H)–2020 (C.E.)

In terms of para 6 of Office Circular No.7 dated 20.01.2020, the Date & Venue of two (2) days "Training of Trainers programme" has been scheduled as under:-

Date	Venue
16th & 17th February, 2020	Haj Committee of India, Bait-ul-Hujjaj (Haj House), 7-A, M.R.A. Marg, (Palton Raod), Mumbai-400 001.

2. The registration will start at 8:00 a.m. on 16th February, 2020, participants are to occupy their seats by 09:00 a.m. and the training session will be held from 9:00 a.m. to 7:00 p.m. The trainees have to arrange their return journey only after 08:00 p.m. of 17th February, 2020 , as their presence shall be required for the full day.

3. Salient features of Circular No.7 dated 20.01.2020 is reproduced below for information of all concerned:-

3.1. The Executive Officer (EO) of the SHCs may conduct interviews for selection of Trainers. The selection should be made on the basis of merit, past performances and recent experience of Haj & Umrah. Preference should be given to those having experience as Assistant Haj Officer / Haj Assistant / Medical Officer / Khadimul Hujjaj as they possess practical knowledge of logistics and rituals of Haj. Generally, the Trainers should not be more than 58 years of age. Sufficient number of Female Trainers should be selected so as to impart training to the women pilgrims (Para 2 (vi) of Circular No.7 dated 20.01.2020). SHCs have to select the Trainers from the list available on IHPMS in terms of norms and re-submit/forward to HCoI for approval (format available **as Annexure-I**).

3.2. SHCs should give wide publicity detailing the date, time and venue of training sessions to be conducted in each district, alongwith the name and mobile numbers of Trainers. SHC shall render all possible assistance to the Trainer in organizing the Training Camps at District / Taluka levels in all matters. The SHC may take the help of local NGOs etc. in organizing such trainings, if required. All such details should be made available to HCoI (Para 4 (iv) of Circular No.7 dated 20.01.2020).

3.3. Trainers details will be available on IHPMS. All the SHCs are advised to approve the list of Trainers after thorough verification of the credentials uploaded by the applicants. The access to IHPMS has been given to all SHCs in this regard (Para 4 (vii) of Circular No.7 dated 20.01.2020).

….2

(2)

3.4. SHCs shall intimate selection of Trainers preferably by using email, which the concerned Trainer shall preserve and show the same to the staff of HCoI upon arrival for training of Trainers programme in Mumbai (Para 4 (viii) of Circular No.7 dated 20.01.2020).

3.5. Trainers will be provided simple and shared accommodation at Haj House, Mumbai. HCoI will reimburse travelling expenses to each Trainer as per 3-Tier A.C Railway Fare/ Bus Fare/ actual expenses for shortest train rout only and lump-sum Honorarium @Rs.500/-. No other claim shall be entertained (Para 5 (ii) of Circular No.7 dated 20.01.2020).

3.6. T.A/ Honorarium to the eligible Trainers will be paid through RTGS in their account only. All the Selected Trainers are advice to fill-up the T.A / Honorarium Form along with copy of to & fro tickets and submit the same to HCoI at the time of training (Format available in Annexure-IV). No cash payment will be made at the Venue of Trainin g (Para 5 (iii) of Circular No.7 dated 20.01.2020).

4. **Model Training Calendar for Training by SHC**:

Sr. No.	Particulars	Date
1	Circular invited online applications for Trainers by HCoI.	20.01.2020
2	Last date for filling online application	30.01.2020
3	Last date for selection of Trainers by concerned SHC.	07.02.2020
4	Training for Trainers at Mumbai for two (2) days	16th & 17th February, 2020
5	Preparation of district-wise training programme by SHC (copy be sent to HCoI)	4th week of February, 2020
6	Publicity of district-wise training programme by SHC	1st week of March, 2020
7	Providing list of selected pilgrims, jurisdiction & responsibility assigned to each trainer by concerned SHC.	2nd week of March, 2020
8	Conduct of training for Hajis by Selected Trainers at district level	3rd week of March, 2020 onwards
9	Report to be submitted to HCoI by concerned SHC.	15.06.2020

5. All concerned are hereby advised to plan their itinerary, accordingly.

(Dr. Maqsood Ahmed Khan)
Chief Executive Officer.

To:-

1. The Executive Officer, all State / Union Territory Haj Committees.
2. The Chairman & all Members, Haj Committee of India for information.
3. The JS/MoMA, Director/MoMA, US/MoMA, CGI/Jeddah.
4. Dy. C.E.O.(Op./Admn./Acctts.), Haj Committee of India for information.
5. Incharge, Computer Section, HCoI for uploading on website of HCoI.
6. Incharge, Haj House, Haj Committee of India, Mumbai.
7. Incharge, Stationery, Haj Committee of India.